वैश्विक व्यापार में क्षेत्रीय व्यापार करारों की भूमिका

हाल के वर्षों में वैश्विक व्यापार प्रणाली के अंतर्गत क्षेत्रीय व्यापार करारों में तीव्र वृद्धि हुई है। गैट/विश्व व्यापार संगठन को अक्तूबर 2003 तक 285 क्षेत्रीय व्यापार करार अधिसूचित किये गये हैं। जबकि सबसे सामान्य श्रेणी मुक्त व्यापार करार है जिसका सभी क्षेत्रीय व्यापार करारों में 70 प्रतिशत हिस्सा है। क्षेत्रीय व्यापार करारों का विन्यास विविध है और यह परस्पर व्याप्त क्षेत्रीय व्यापार करारों के कारण अधिक जटिल होता जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के पूरे ताने-बाने पर क्षेत्रीय व्यापार करार का प्रभाव कई गुना है। एक ओर बड़े पैमाने की किफायत, प्रतिस्पर्धा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने और उदारीकरण के अवसर के माध्यम से फायदे उठाने हैं। जबकि दूसरी ओर, ये करार अधिक प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ताओं से व्यापार विशाखन की दिशा में बहुपक्षीय स्तर पर उदारीकरण के साथ आगे बढ़ने के उत्साह को ठंडा कर सकते हैं और व्यापार विशाखन तथा जटिल प्रशुल्क ढांचे की ओर ले जा सकते हैं।

भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) का एक सदस्य है और दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) ढांचा संधि से गहन रूप से जुड़ा हुआ है। भारत ने श्रीलंका तथा थाइलैंड के साथ मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये हैं और सिंगापोर के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी ई सी ए) पर बातचीत चल रही है। एसियान के साथ भारत ने एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किये हैं। भारत तथा लैटिन अमेरिका में देशों के मर्कोसुर समूह ने अधिमान्य व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये हैं। भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (आइ बी एस ए) ने एक त्रिपक्षीय आयोग भी गठित किया है। बांग्लादेश-भारत-म्यांमार-श्रीलंका-थाइलैंड आर्थिक सहयोग (बी आइ एम एस टी - ई सी) पहल के अंतर्गत भारत ने अन्य सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये हैं और अफ़गानिस्तान के साथ अधिमान्य व्यापार करार है जिसमें निर्दिष्ट माल की मुक्त आवा-जाही की व्यवस्था है।

ये प्रयत्न द्विपक्षीय/क्षेत्रीय व्यापार तथा निवेश-संबंध बढ़ाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं। ऐसे मुक्त व्यापार करारों के अधीन द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को सुगम बनाने तथा उसे बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसे करारों में कुछ शर्तों जैसे उद्गम तथा मूल्य योजन मानदंडों के नियम का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है।

जबकि ये मुक्त व्यापार करार भारत के निर्यात के लिए बाज़ार खोलने में सहायक होंगे, बड़े पैमाने की किफायत, साझेदार देशों से सामग्री तथा घटकों को प्राप्त करने के माध्यम से लागत में कमी की भी गुँजाइश है। भारतीय कंपनियों को भी स्थानीय उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साझेदार देशों में परियोजनाएं स्थापित करने में सुविधा होगी। आज के विश्व में, देश-विदेश में बड़ी संख्या में विविध प्रकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो रहे हैं। ये प्रत्यक्ष निवेश देश विशिष्ट के बजाय उद्योग या उत्पाद विशिष्ट अधिक हो रहे हैं। यदि भारत एशिया में कम उत्पादन लागत का सिद्ध होता है तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अधिक बढ़ेगा।

विषय सूची

निदेशक मंडल	1
पिछला दशक	2
अध्यक्ष का वक्तव्य	3
आर्थिक परिवेश	6
निदेशकों की रिपोर्ट	16
तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि लेखा	37

Regional Trade Agreements and Role in Global Trade

The global trading system has seen a sharp increase in regional trade agreements (RTAs) in recent years, with as many as 285 RTAs having been notified to the GATT/WTO as of October 2003. While the most common category is the free trade agreement (FTA) which accounts for 70 per cent of all RTAs, the configuration of RTAs is diverse and is becoming more complex with overlapping RTAs and networks of RTAs spanning across continents. The effects of RTAs on the whole fabric of multilateral trading system laid down by WTO are manifold. On one side, gains could arise from economies of scale, competition, attraction of FDI and the opportunity to liberalise. On the other hand, however, these agreements may dampen the enthusiasm of moving forward with liberalisation at the multilateral level, leading to trade diversion and complicated tariff structures.

India is a member of South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) and is closely associated with the South Asian Free Trade Area (SAFTA) framework treaty. India has signed FTAs with Sri Lanka and Thailand, and is also negotiating a Comprehensive Economic Co-operation Agreement (CECA) with Singapore. With ASEAN, India has signed a framework agreement on Comprehensive Economic Co-operation. India and the Mercosur group of countries in Latin America have also signed a preferential trading agreement (PTA). India-Brazil-South Africa (IBSA) have formed a Trilateral Commission. Under the Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation (BIMST-EC) initiative, India has entered into an FTA with the other members, and has a preferential trade agreement with Afghanistan, which provides for free movement of specified goods.

These endeavours reflect the government's efforts to enhance bilateral/regional trade and investment relations. In order for such RTAs to facilitate and enhance bilateral trade relations, certain conditions need to be clearly enunciated such as rules of origin and value addition norms.

While these RTAs could serve to open up markets for India's exports, there could be scope for cost reduction through economies of scale, and sourcing materials and components from partner countries as well. Indian companies could also find it easier to set up projects in partner countries to cater to local and regional customers. In today's world, a lot of criss-crossing FDI takes place across countries, with FDI becoming more industry or product specific than country specific. More FDI may be forthcoming if India proves to be a competitive production location in Asia.

CONTENTS

Board of Directors	1
The Past Decade	2
Chairman's Statement	3
Economic Environment	6
Directors' Report	16
Balance Sheet and Profit & Loss Account	37

इंटरनेट पर इस रिपोर्ट की प्राप्ति के लिए कृपया आप हमें **www.eximbankindia.com** पर देखिए
To access this Annual Report on Internet, visit us at **www.eximbankindia.com**

निदेशक मंडल

श्री टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक

श्री दीपक चटर्जी
सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री लक्ष्मी चंद
सचिव, औद्योगिक
नीति एवं संवर्धन विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

डा. अशोक के. लाहिरी
मुख्य आर्थिक सलाहकार
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय

श्री राजीव सीकरी
विशेष सचिव (ई आर)
विदेश मंत्रालय

श्री शेखर अग्रवाल
संयुक्त सचिव
बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय

श्री वाइ.एस.पी. थोरात
कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री एम. दामोदरन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

श्री पी. एम. ए. हकीम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.

श्री ए. के. पुरवार
अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक

श्री आर. वी. शास्त्री
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
केनरा बैंक

श्री एस. सी. बसु
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

डा. पुलिन बी. नायक
प्रोफेसर
दिल्ली स्कूल ऑफ ईकोनोमिक्स
नई दिल्ली

डा. एस. चन्द्रा
मैनेजमेंट कन्सल्टेंट,
चेअरमैन
पैन एशिया मैनेजमैंट फाउंडेशन
नई दिल्ली

डा. विनयशील गौतम
प्रोफेसर
प्रबंधन अध्ययन विभाग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
नई दिल्ली

डा. बुद्धाजीराव आर.मुलिक
वाइस प्रेसिडेण्ट
एशियन एसोसिएशन ऑफ
एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पुणे

पिछला दशक

(रुपये मिलियन में)

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	संचयी (1994-2004)	वार्षिक औसत संवृद्धि %
ऋण												
मंजूरियाँ	29030	24657	12421	18406	18380	28318	21743	42407	78283	92657	366302	56
संवितरण	15561	21300	12566	13704	12707	17296	18964	34529	53203	69575	269405	30
ऋण आस्तियाँ [1]	25961	29302	34513	38248	42641	50833	56443	68260	87736	107751		18
गारंटियाँ												
मंजूर की गई गारंटियां	690	2027	1365	4024	2633	4404	2118	5450	9328	10792	42831	53
जारी की गई गारंटियां	832	1731	1481	1912	2474	3017	1741	4164	7275	5743	30370	30
गारंटी संविभाग	6836	9081	10215	12094	10553	11147	10740	11273	16133	15769		9
संसाधन												
प्रदत्त पूँजी	4403	5000	5000	5000	5000	5500	5500	6500	6500	6500		
आरक्षित राशियाँ	3119	3997	5445	7058	8352	9584	10664	12026	13171	14933		
वचनपत्र, बाँड और डिबेंचर	6440	8861	9165	8267	12850	20944	22915	33158	64902	76701		
जमा राशियाँ	1620	1404	660	371	104	2617	2797	3416	9121	20922		
अन्य उधार राशियाँ	14431	13346	20352	21808	21285	20354	20255	16619	16467	21583		
कुल संसाधन	36067	39694	49329	51201	56665	70264	73981	82734	123189	155192		
निष्पादन												
कर पूर्व लाभ	788	1100	1516	2017	2400	2273	2047	2212	2686	3042	20081	19
करोत्तर लाभ	788	1100	1516	2017	1650	1651	1541	1712	2066	2292	16333	
लाभांश	160	200	310	410	330	350	380	420	450	470	3480	14
स्टाफ़ (संख्या) [2]	104	116	126	136	. 147	150	154	163	167	190		
अनुपात												
जोखिम आस्ति की तुलना में पूँजी अनुपात (%)	34.3	31.9	31.7	30.5	26.6	24.4	23.8	33.1	26.9	23.5		
पूँजी पर कर पूर्व लाभ (%)	19.8	23.4	30.3	40.3	48.0	43.3	37.2	36.9	41.3	46.8		
निवल संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%)	11.8	13.3	15.6	17.9	18.9	16.0	13.1	12.8	14.1	14.2		
आस्तियों पर कर पूर्व लाभ (%)	2.4	2.9	3.4	4.0	4.4	3.6	2.8	2.8	2.6	2.2		
प्रति कर्मचारी कर पूर्व लाभ (रुपये मिलियन में)	7.3	10.0	12.5	15.4	17.0	15.3	13.5	14.0	16.3	17.0		

1 ऋण आस्तियां भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी लि. द्वारा निपटाये गये दावों को घटाकर हैं तथा 1997-98 से प्रभावी हैं।

2 यह एक्ज़िम बैंक की सेवा में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है।

टिप्पणी : ये आँकड़े सामान्य निधि से संबंधित हैं।

अध्यक्ष का वक्तव्य

वर्ष 2003-2004 की एक प्रमुख विशेषता उत्साहजनक निर्यात वृद्धि के साथ आर्थिक कार्यकलापों में तेज़ी की प्रवृत्ति थी। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि और क्षेत्रीय तथा भौगोलिक पहुँच की व्यापकता तथा गहनता ने भारत के शानदार निर्यात-निष्पादन को मज़बूत बनाया है।

सुदृढ़ कारोबारी मूल-सिद्धांतों के साथ, एक्ज़िम बैंक ने विभिन्न प्रकार के पहल-कार्यों के माध्यम से भारतीय कंपनियों के अंतरराष्ट्रीयकरण के प्रयासों में उनकी प्रतिस्पर्धी बढ़त को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयत्न किया है। इस संबंध में, बैंक लगातार विवेकशील विश्व-बाज़ारों की ओर ध्यान देने वाली कंपनियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तपोषण कार्यक्रम तथा सलाहकारी और सहायता सेवाएं प्रदान करता है।

व्यावसायिक पहलें

बैंक ने ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के अंतर्गत भौगोलिक पहुँच तथा मात्रा को आक्रमक रूप से विस्तारित किया है। बाज़ार व्यापकता को बढ़ाने तथा निर्यात बाज़ारों के विविधीकरण के उद्देश्य से बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी सरकारों, केन्द्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं को कुल 168 मिलियन यू एस डॉलर राशि की 12 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं। भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप कार्य करते हुए बैंक के पास इस समय उपयोग के लिए उपलब्ध कुल 530 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-वचनबद्धताओं के साथ समूचे महाद्वीप में 50 से अधिक देशों को सम्मिलित करते हुए 28 ऋण-व्यवस्थाएं प्रवर्तनशील हैं। बातचीत के विभिन्न चरणों में कई ऋण-व्यवस्थाओं के होने से बैंक भारत के निर्यात के निरन्तर निष्पादन को उत्प्रेरित करने तथा उसमें योगदान देने की अच्छी स्थिति में है।

परियोजना निर्यात पर विशेष ध्यान देते हुए 96 भारतीय निर्यातकों को एक्ज़िम बैंक की सहायता से वर्ष के दौरान 48 देशों में कुल 75.4 बिलियन रुपये मूल्य की 164 संविदाएं प्राप्त हुई हैं। भारतीय परामर्शदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं तथा संविदाकारों ने चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को निष्पादित करने की क्षमता प्रदर्शित की है। विगत तीन दशकों के दौरान भारत से परियोजना निर्यात के क्रम-विकास तथा वृद्धि को वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्रकाशित ''परियोजना निर्यात : भारतीय विशेषज्ञता के साथ महाद्वीपों को जोड़ना'' शीर्षक पुस्तक में सम्मिलित किया गया है।

बैंक ने मनोरंजन उद्योग के वित्तपोषण में कदम रखा जिसमें अपार निर्यात संभावनाएं निहित हैं और स्वास्थ्य संवर्धक सेवा क्षेत्र के वित्तपोषण में भी प्रवेश किया है। बैंक ने सुस्थापित विशेषीकृत कृषि व्यवसाय समूह के माध्यम से कृषि-निर्यात पर विशेष ज़ोर दिया गया है। कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों का वित्तपोषण करने के अलावा, बैंक विविध प्रकार के संस्थागत संबंधों और हर्बल उत्पादों तथा न्यूट्रास्युटिकल्स पर सेमिनारों सहित कई सेमिनारों में सहभागिता से प्राप्त परस्पर तालमेल के माध्यम से एक सार्थक वातावरण बनाने की दिशा में तत्परतापूर्वक अग्रसर है। बैंक ने केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी एफ टी आर आइ) के साथ समझौता-ज्ञापन किया है जो अनुपूरक शक्तियों में संवर्धन करेगा और सी एफ टी आर आइ द्वारा किए गए अनुसंधान और निर्यात के संबंध में इसके वाणिज्यिक सहयोग को बढ़ावा देगा। भारतीय औषधि प्रणाली पर बैंक की पुस्तक और आर्गेनिक उत्पादों तथा भारतीय औषधीय पौधों पर प्रासंगिक आलेखों का उद्देश्य इन क्षेत्रों में संभाव्यता का आकलन करना, मुद्दों तथा संभावनाओं की पहचान करना और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना रहा है।

वर्ष के दौरान प्रकाशित प्रासंगिक आलेखों में चुनिंदा दक्षिण अफ्रीकी तथा एशियाई देशों के साथ भारत की व्यापार तथा निवेश संभाव्यता पर अध्ययन शामिल है। कार्यकारी आलेखों में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा चीन पर विशेष संकेंद्रण के साथ निर्यात में तीव्र उछाल के लिए रणनीति तथा भारतीय इस्पात और जूट उद्योगों की निर्यात संभाव्यता पर भी चर्चा की गयी है।

इनके अलावा, भारत तथा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान देते हुए एक तिमाही द्विभाषी पत्रिका 'इंडो-लैक बिज़नेस' वर्ष के दौरान शुरू की गयी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंधों को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से बैंक ने कतिपय विदेशों के चयनित व्यापार मेलों में भाग लिया और अपने उत्पादों तथा सेवाओं को प्रदर्शित किया।

बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली निर्यात संबद्ध सलाहकारी तथा संवर्धनात्मक सेवाओं को वर्ष के दौरान संघटित तथा प्रवर्धित किया गया। एक्ज़िमिअस ज्ञान केन्द्र ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों, देशों, प्रान्तों को शामिल करते हुए निर्यातोन्मुख कंपनियों के लिए प्रासंगिक विषयों के एक विस्तृत कैनवस और बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा निधिक परियोजनाओं में व्यावसायिक अवसरों को सम्मिलित करते हुए कई सकेंद्रित कार्यक्रम भी आयोजित किये हैं।

विकासशील देशों के परिदृश्य में व्यापार और वित्तीय क्षेत्रों में भूमंडलीकरण की चुनौतियों के प्रमुख मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व उप प्रबंध निदेशक एवं चिले के पूर्व वित्त मंत्री डॉ. एडुआर्डो अनिनात द्वारा दिया गया वर्ष 2004 के लिए बैंक का स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान वर्ष के दौरान एक महत्त्वपूर्ण घटना थी।

निरन्तर परस्पर निर्भर होते विश्व में साझेदारी को मज़बूत करना हाल के वर्षों में काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एक फोरम, जिसकी पहल बैंक ने की थी, के माध्यम से विशेषकर एशियाई क्षेत्र से अन्य निर्यात ऋण एजेंसियों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया है और विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन सहित बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करना जारी रखा है।

कारोबार परिणाम

यह बैंक के लिए एक और अच्छा वर्ष रहा है। वर्ष के लिए कुल ऋण मंजूरियाँ 92.66 बिलियन रुपये की थीं, इनमें गत वर्ष के मुकाबले 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि संवितरण 69.57 बिलियन रुपये के थे जो गत वर्ष के मुकाबले 31 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाते हैं। ऋण आस्तियाँ यथा 31 मार्च 2004 को 23 प्रतिशत बढ़कर 107.75 बिलियन रुपये हो गयीं।

कर पश्चात लाभ गत वर्ष के 2.07 बिलियन रुपये की तुलना में 2.29 बिलियन रुपये रहा जिसमें 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

बैंक के बांडों के निजी नियोजन के जरिए 20.25 बिलियन रुपये और उधार/पारस्परिक सावधि जमा राशियों के जरिए 310 मिलियन यू एस डॉलर राशि जुटायी है। वर्ष के दौरान, बैंक ने निर्यात ऋण के जरिए वित्त प्रदान करने के लिए 355 मिलियन यू एस डॉलर की राशि भी जुटायी है। बैंक के ऋण लिखतों को रेटिंग एजेंसियों क्रिसिल तथा इक्रा से उच्चतम क्रेडिट रेटिंग अर्थात् 'ए ए ए' प्राप्त है। बैंक ने अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों अर्थात मूडीज (बी ए ए 3/सॉवरिन), स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (बी बी/सॉवरिन) और फिच्च (बी बी+/सॉवरिन) से विदेशी उधार के लिए भी क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की है।

संस्थागत संबंध

बैंक ने व्यापार तथा निवेश के संवर्धन में लगी एजेंसियों के साथ औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के उपयोगी संबंध विकसित किये हैं। सी आइ आई, फिक्की, एसोचेम, नैसकॉम, एफ आइ ई ओ, ई ई पी सी, ओ सी सी आइ, भारत-यूरोपीय संघ वाणिज्य मंडल, अन्य निर्यात संवर्धन परिषदें, वाणिज्य मंडल और विभिन्न केंद्रों में आर्थिक शोध संस्थाएं ज्ञान तथा बैंक के कार्य में सहायता का मूल्यवान स्रोत रही हैं। बैंक को निर्यात को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उसके प्रयासों में उद्योग, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि., भारत सरकार के मंत्रालयों - विशेषकर मूल वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ परस्पर संवाद से भी शक्ति तथा महत्त्व प्राप्त हुआ है। बैंक ने निर्यात संवर्धन के अपने प्रयास में बहुपक्षीय एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अपने संबंधों को मज़बूत किया है।

निदेशक मंडल

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन हुआ है। श्री राजीव रत्न शाह और श्री लक्ष्मी चंद, सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, श्री राजीव सीकरी, विशेष सचिव (ई आर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, श्री एम. दामोदरन, अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री शशांक, सचिव (ई ए ए), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, श्री वी. गोविंदराजन तथा श्री राजीव रत्न शाह, सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और श्री पी पी वोरा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपना कार्यकाल पूरा होने या कार्यालय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप एक्ज़िम बैंक के मंडल में अपने निदेशक पद से त्याग-पत्र दे दिये हैं । निदेशक के रूप में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा।

बैंक के स्टाफ़ ने कारोबार संवृद्धि तथा नई पहलों के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में उच्च स्तर की निष्ठा तथा समर्पण भावना प्रदर्शित की है। बैंक की सहभागी तथा व्यावसायिक कार्य संस्कृति बैंक के लिए निरंतर शक्ति का एक स्रोत रही है।

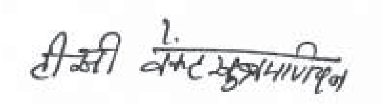

(टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन)

24 अप्रैल, 2004

आर्थिक परिवेश

वैश्विक-अर्थव्यवस्था

आर्थिक कार्यकलापों में विशेषकर अमेरिका, जापान और उभरते बाज़ारों में - उछाल के बढ़ते संकेतों के साथ ही वर्ष 2003 में वैश्विक आर्थिक कार्यकलापों में सुधार की गति तेज़ हुई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पत्रिका 'वर्ल्ड ईकोनॉमिक आउटलुक' के अप्रैल 2004 अंक के अनुसार वर्ष 2003 में वैश्विक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 2002 के 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 3.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक कार्यकलापों में अधिक समेकन के चलते इस वृद्धि दर के 2004 में 4.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच जाने का अनुमान है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में गत वर्ष के 1.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जबकि विकासशील देशों ने गत वर्ष के दौरान 4.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2003 में 6.1 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की।

अमेरिका में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में गत वर्ष की 2.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2003 में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि वर्ष की दूसरी छमाही में तीव्र उछाल को प्रतिबिंबित करती है जो करों में कटौती, उपभोक्ता और व्यवसाय आत्मविश्वास के सुदृढ़ीकरण तथा मौद्रिक और वित्तीय शर्तों में ढिलाई के कारण हुई है। हालांकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त वृद्धि अन्य अर्थव्यवस्थाओं को अनुकूल रूप से प्रभावित करेगी, फिर भी अमेरिका का बढ़ता चालू खाता घाटा चिंता का विषय बना रहा। केनेडा में, वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष के 3.3 प्रतिशत की तुलना में 2003 में घटकर 1.7 प्रतिशत रह गयी। कनेडिअन डॉलर में पर्याप्त मज़बूती, विदेशी मांग और स्टॉक सूची के संचय की धीमी गति ने 2003 में समग्र कार्यकलाप को प्रभावित किया।

एक्ज़िम बैंक का उन्नीसवां स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान देते हुए डॉ. एडुआर्डो अनिनात, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के पूर्व उप प्रबंध निदेशक तथा चिले के पूर्व वित्त मंत्री ने "विकासशील देशों के परिदृश्य में व्यापार और वित्तीय क्षेत्र में भूमंडलीकरण की चुनौतियाँ" पर प्रकाश डाला। डॉ. विजय केलकर वित्त मंत्री के सलाहकार, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

आर्थिक कार्यकलापों में लम्बे समय से व्याप्त मंदी के अनुरूप यूरो क्षेत्र ने गत वर्ष के 0.9 प्रतिशत की तुलना में 2003 में 0.4 प्रतिशत की कमतर वृद्धि दर्ज की। कम निवेश व्यय, वित्तीय क्षेत्रों में कठिनाइयों और यूरो के मूल्य में पर्याप्त वृद्धि से यूरो क्षेत्र में वृद्धि सीमित हुई। विशेषकर जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैण्ड और पुर्तगाल में आर्थिक कार्यकलापों में मंदी रही। यूरो क्षेत्र के बाहर, वास्तविक सकल देशी उत्पाद में युनाइटेड किंगडम के गत वर्ष के 1.7 प्रतिशत की तुलना में 2003 में 2.3 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि विस्तारकारी राजकोषीय नीति तथा श्रम, उत्पाद और वित्तीय बाज़ारों में सुधार के कारण हुई है।

जापान में पूँजी बाज़ार में सुधार, निजी निवेश में वृद्धि और सुधरे बाहरी वातावरण से आर्थिक कार्यकलापों में तेज़ी आयी है जिससे वास्तविक सकल देशी उत्पाद में गत वर्ष के 0.3 प्रतिशत की तुलना में 2003 में 2.7 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई। जापान की आर्थिक संभावनाओं में सतत बदलाव के

लिए कॉरपोरेट एवं वित्तीय पुनर्गठन की प्रमुखता बनी रही।

यह वृद्धि एसियान क्षेत्र, एशिया और चीन में मज़बूत आर्थिक कार्यकलापों के कारण हुई है। एशियाई क्षेत्र में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में गत वर्ष के 6.2 प्रतिशत की तुलना में 2003 में 7.2 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स और थाइलैण्ड ने 2003 में 5.0 प्रतिशत की संयुक्त वास्तविक सकल देशी उत्पाद की संवृद्धि दर्ज की। इससे मलेशिया और थाइलैण्ड में समर्थनकारी स्थूल आर्थिक नीतियाँ और इंडोनेशिया में निजी खपत आंशिक रूप से प्रतिबिंबित होती है। भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार से दक्षिण एशिया में आर्थिक सुधार हुआ है। जबकि स्थूल आर्थिक नीतियों में मज़बूती से बांग्लादेश में सुधार हुआ है, चीन में तीव्र ऋण विस्तार के साथ सुदृढ़ निवेश वृद्धि के कारण वास्तविक सकल देशी उत्पाद गत वर्ष के 8.0 प्रतिशत की तुलना में 2003 में 9.1 प्रतिशत के शानदार स्तर पर बनी रही। नई औद्योगिक एशियाई अर्थव्यवस्थाओं जैसे हांगकांग, कोरिया, सिंगापोर और ताइवान में संयुक्त वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दर मुख्यत: देशी मांग में कमी के कारण 2002 के 5.1 प्रतिशत से घटकर 2003 में 3.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

अफ्रीका में वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2002 के 3.5 प्रतिशत की तुलना में 2003 में बढ़कर 4.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। इससे हाल के वर्षों में अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं में समुत्थान प्रतिबिंबित होता है। गैर-ईंधन वस्तुओं के मूल्यों में अनुकूल गतिविधियों और एच आइ पी सी पहल के अंतर्गत ऋण राहत को मोटे तौर पर वृद्धि प्रेरित करने वाले कारकों के रूप में अभिनिर्धारित किया जा सकता है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया के मैघरेब देशों में वृद्धि मज़बूत रही जबकि उप-सहारीय अफ्रीकी क्षेत्र में साधारण वृद्धि रही। उप-सहारीय अफ्रीकी क्षेत्र के अंदर घाना, नाइजीरिया और कांगो गणतंत्र में 2003 में आर्थिक वृद्धि में सुधार दर्ज किया गया है जबकि तंज़ानिया, युगांडा और कैमरून में आर्थिक गतिविधि में साधारण मंदी देखी गई। दक्षिण अफ्रीका में मौद्रिक तंगी के बाद और इसके निर्यातों की बाहरी मांग में कमी से 2003 में आर्थिक कार्यकलापों में मंदी रही। मुद्रास्फीति के मोर्चे पर, उन्नत स्थूल आर्थिक नीतियों से अंगोला, ज़िंबाब्वे और कुछ कमतर हद तक घाना, नाइजीरिया और इथियोपिया को छोड़कर अधिकांश अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा स्फीति की दर अपेक्षाकृत कम रही।

मध्य पूर्व में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में वर्ष 2002 के 4.2 प्रतिशत की तुलना में 2003 में 5.4 प्रतिशत की अनुमानित

भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियाँ
(बिलियन रुपये में)

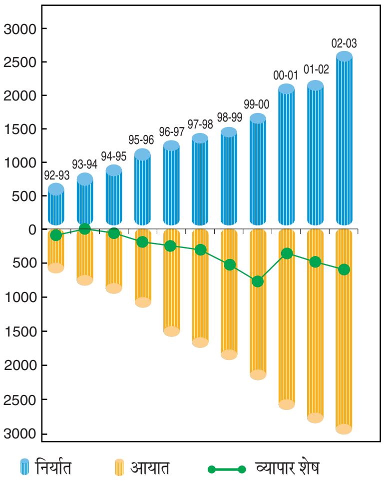

मॉरीशस में लार्सन एण्ड टुब्रो लि. तथा शपूरजी पल्लनजी कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन ग्यारह मंज़िला एबिन साइबर सिटी टॉवर। एक्ज़िम बैंक ने इस परियोजना के लिए भारतीय कंपनियों को गारंटियां तथा पूरक वित्त प्रदान किये हैं। यह परियोजना मॉरीशस सरकार को भारत सरकार के 100 मिलियन यू एस डॉलर के ऋण के अंतर्गत वित्तपोषित की जा रही है।

वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि मुख्यत : तेल निर्यातक देशों और खाड़ी सहयोग परिषद् में तीव्र वृद्धि और इराकी युद्ध के बाद अनिश्चितताओं में कमी के कारण आयी है। साऊदी अरब में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में 2002 के 1.0 प्रतिशत की तुलना में 2003 में 6.4 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई जबकि कुवैत में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में गत वर्ष के 0.4 प्रतिशत की तीव्र मंदी से 9.9 प्रतिशत का तीव्र उछाल देखा गया। ईरान में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में वृद्धि दर 2003 में तेल निर्यात में वृद्धि तथा राजकोषीय उत्प्रेरक के कारण 5.9 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही।

लैटिन अमेरिका में आर्थिक कार्यकलापों में सुधार देखा गया। वास्तविक सकल देशी उत्पाद वर्ष 2002 में 0.1 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 2003 में 1.7 प्रतिशत की अनुमानित अनुकूल वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि पूरे क्षेत्र में वृद्धि में बहुत अधिक भिन्नता थी, निर्यातों में सुधार, सुदृढ़ वैश्विक संवृद्धि और वास्तविक विनिमय दर में पर्याप्त कमी सहित सुधार अनेक कारकों पर निर्भर था। अर्जेंटीना में, वास्तविक सकल देशी उत्पाद में 2002 में 10.9 प्रतिशत की तीव्र गिरावट के विपरीत 2003 में 8.7 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गयी। यह वृद्धि चालू खाते के पर्याप्त अधिशेष तथा उपभोग और निर्माण निवेश में तेज़ी के कारण हुई। ब्राज़ील में नीतिगत प्रगति से आत्मविश्वास सुदृढ़ होने में सहायता मिली है। एंडियन क्षेत्रों में कोलंबिया, एक्वाडोर और पेरू में सकारात्मक वृद्धि, वेनेज़ुएला की तीव्र मंदी से संतुलित हो गई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार के अनुरूप और मौद्रिक शर्तों की शिथिलता से मेक्सिको में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में 2003 में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आर्थिक कार्यकलापों से सुधार हुआ है।

चीन में अरोबिंदो (दतांग) बायो फार्मा कंपनी लिमिटेड, जो अरोबिंदो फार्मा लि. हैदराबाद के पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है, के कारखाने का आंतरिक दृश्य। यह परियोजना पेंसीलीन जी और फर्मेंटेशन प्रक्रिया के माध्यम से संबद्ध उत्पादों के निर्माण के लिए एक्ज़िम बैंक के विदेश निवेश वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक से सावधि ऋण से स्थापित हो गई है।

सी आइ एस देशों में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में 2002 के 5.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2003 में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि उपभोग तथा ऋण में वृद्धि और अधिकांश देशों में निर्यात के तीव्र वृद्धि के कारण हुई। रूस में ऊर्जा निर्यात में तीव्र वृद्धि, घरेलू वित्तीय बाज़ारों में अनुकूल नकदी स्थितियों और अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाज़ारों में वर्धित पहुँच से वास्तविक सकल देशी उत्पाद में गत वर्ष के 4.7 प्रतिशत की तुलना में 2003 में 7.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। तेल की ऊँची कीमत, प्रतिस्पर्धी विनिमय दर तथा निवेश में ज़ोरदार वृद्धि ने भी 2003 में अन्य सी आइ एस देशों के वास्तविक सकल देशी उत्पाद में वृद्धि में योगदान दिया है।

विश्व व्यापार

वैश्विक आर्थिक वृद्धि की तेज़ गति दर्शाते हुए और पण्य मूल्यों में तेज़ी के कारण विश्व निर्यात वर्ष 2003 में 7482 बिलियन यू एस डॉलर रहा जिसमें गत वर्ष के 4.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 15.5 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2003 में निर्मित वस्तुओं, तेल और गैर-ईंधन प्राथमिक वस्तुओं के विश्व मूल्यों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई जबकि तेल के मामले में गत वर्ष के

2.4 प्रतिशत की तुलना में विश्व मूल्यों में 14.5 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। जबकि तेल के मामले में, कीमतों में वर्ष 2003 में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि गत वर्ष की 2.5 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले में है। गैर ईंधन प्राथमिक वस्तुओं के मूल्यों में भी गत वर्ष के 0.5 प्रतिशत की मामूली बढ़ोत्तरी की तुलना में 2003 में 7.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

मात्रा की दृष्टि से विश्व व्यापार में गत वर्ष के 3.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2003 में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विकसित और विकासशील दोनों देशों तथा उभरते बाज़ारों ने आयात की मात्रा में वृद्धि दर्ज की। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मामले में आयात की मात्रा में 2002 के 2.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2003 में 3.9 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई, जबकि विकासशील देशों तथा उभरते बाज़ारों के मामले में आयात मात्रा में 2002 के 6.4 प्रतिशत की तुलना में 2003 में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

जहाँ तक निर्यात का संबंध है, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने निर्यात मात्रा में वर्ष 2002 में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। विकासशील देशों और उभरते बाज़ारों ने निर्यात मात्रा में वर्ष 2002 के दौरान 6.4 प्रतिशत की तुलना में 2003 के दौरान 10.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

निजी पूँजी प्रवाह, चालू खाता शेष एवं विदेशी ऋण

वर्ष 2001 के 130.5 बिलियन यू एस डॉलर से 2002 में 128.3 बिलियन यू एस डॉलर तक घट जाने के बाद, उभरते बाज़ारों को निवल पूँजी प्रवाह 2003 में बढ़कर 194.1 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर पहुँच गया और 2004 में इसमें और सुधार होने की आशा है। ज़बरदस्त वैश्विक संवृद्धि की संभावनाओं एवं प्रमुख देशों में न्यून नीतिगत ब्याज दरों ने उभरते बाज़ार वित्त के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया है।

एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में उभरते बाज़ारों का 2003 में निजी पूँजी प्रवाह की वृद्धि में सर्वाधिक हिस्सा रहा जो 2002 के 66.3 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2003 में 116.7 बिलियन यू एस डॉलर रहा। इसी अवधि में यूरोप में उभरते बाज़ारों में निजी पूँजी प्रवाह 43.1 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 49.2 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। लैटिन अमेरिका के उभरते बाज़ारों के मामले में निजी पूँजी प्रवाह 2002 के 18.6 बिलियन यू एस से बढ़कर 2003 में 24.4 बिलियन यू एस डॉलर हो गया जबकि इसी अवधि में अफ्रीका तथा मध्य पूर्व के उभरते पूँजी बाज़ारों का पूँजी प्रवाह भी 0.4 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 3.8 बिलियन यू एस डॉलर हो गया।

वर्ष 2003 में उभरते बाज़ारों की अर्थव्यवस्थाओं का संयुक्त चालू खाता अधिशेष गत वर्ष के 77.2 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 104.5 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। इसका श्रेय लैटिन अमेरिका के देशों के चालू खाता अधिशेष में तीव्र बदलाव को जाता है जहाँ 2002 में 10.0 बिलियन यू एस डॉलर का घाटा 2003 में 9.2 बिलियन यू एस डॉलर का अधिशेष हो गया। साथ ही, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों का चालू खाता अधिशेष 2002 के 70.6 बिलियन यू एस से बढ़कर 2003 में 80.4 बिलियन यू एस

लैक क्षेत्र को भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने विभिन्न पहल कार्यों के एक हिस्से के रूप में एक्ज़िम बैंक ने मुंबई में लैक देशों के राजदूतों के साथ एक पारस्पारिक संवाद बैठक आयोजित की। इस कार्यक्रम में भारत लैक व्यापार संबद्ध, क्षेत्र में बैंक के पहल कार्य और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए सहयोग क्षेत्रों की पहचान पर विशेष ध्यान दिया गया। चिले, कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको, पेरू, उरुग्वे तथा वेनेज़ुएला के राजदूत बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारत के निर्यातों का गठन
(बिलियन रुपये में)

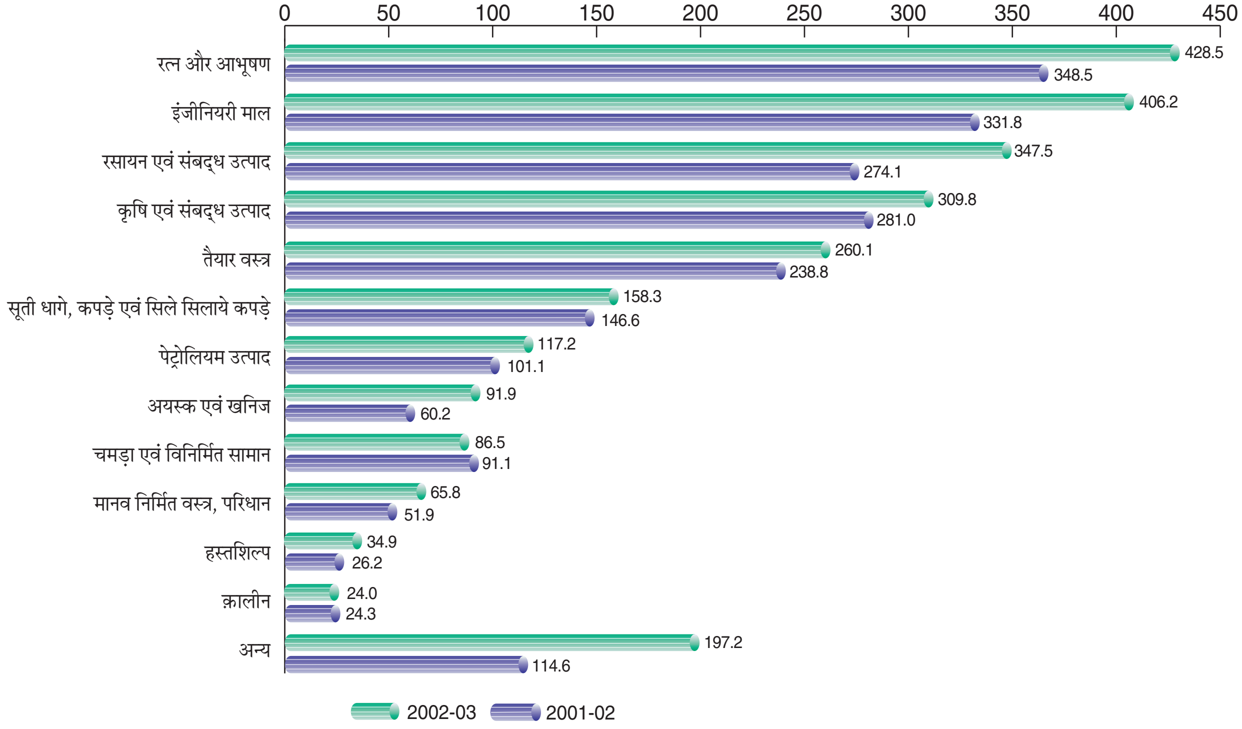

डॉलर हो गया जबकि अफ्रीका और मध्यपूर्व के देशों का चालू खाता अधिशेष 2002 के 6.3 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2003 में 7.0 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। तथापि यूरोप के देशों में चालू खाता अधिशेष 2002 में 10.3 बिलियन यू एस डॉलर से सिकुड़कर 2003 में 7.9 बिलियन यू एस डॉलर हो गया।

उभरते बाज़ारों तथा विकासशील देशों के लिए माल एवं सेवाओं के निर्यात के अनुपात के रूप में विदेशी ऋण 2002 में 124.6 प्रतिशत से घटकर 2003 में 109.9 प्रतिशत हो गया। पश्चिमी गोलार्ध के विकासशील देशों में माल एवं सेवाओं के निर्यात के अनुपात के रूप में विदेशी ऋण 2003 में 194.4 प्रतिशत पर सर्वाधिक था, उसके बाद अफ्रीका (147.1 प्रतिशत), मध्य और पूर्वी यूरोप (113.7 प्रतिशत) सी आइ एस (100.8 प्रतिशत), मध्य पूर्व (95.8 प्रतिशत) और एशिया (73.8 प्रतिशत) का स्थान था। उभरते बाज़ारों तथा विकासशील देशों को ऋण वापसी 2003 में 18.1 प्रतिशत थी जो 2002 में 19.7 प्रतिशत से कम थी।

भारतीय अर्थव्यवस्था

वर्ष 2003-04* के दौरान भारत के सकल देशी उत्पाद में गत वर्ष में दर्ज की गई 4.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 8.1 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है। विनिर्माण क्षेत्र में भारी वृद्धि और सेवा क्षेत्र में लगातार तेज़ी के साथ अनुकूल मानसून से 2003-04 के दौरान आर्थिक कार्यकलापों में तेज़ी रही।

कृषि

कृषि क्षेत्र में 2002-03 में 5.2 प्रतिशत की गिरावट के बाद 9.1 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ 2003-04 में तीव्र सुधार देखा गया। अनाज का उत्पादन गत वर्ष के 174.2 मिलियन टन की तुलना में 2003-04 में 212.2 टन होने का अनुमान है।

उद्योग

औद्योगिक उत्पादन में 2003-04 में 6.9 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई जबकि गत वर्ष के दौरान यह वृद्धि 5.7 प्रतिशत दर्ज की गयी थी। विनिर्माण

*इस खंड में दिये गये आंकड़े भारतीय राजकोषीय वर्ष के अनुरूप हैं जो अप्रैल से अगले वर्ष के मार्च तक होता है।

भारत के आयातों का गठन
(बिलियन रुपये में)

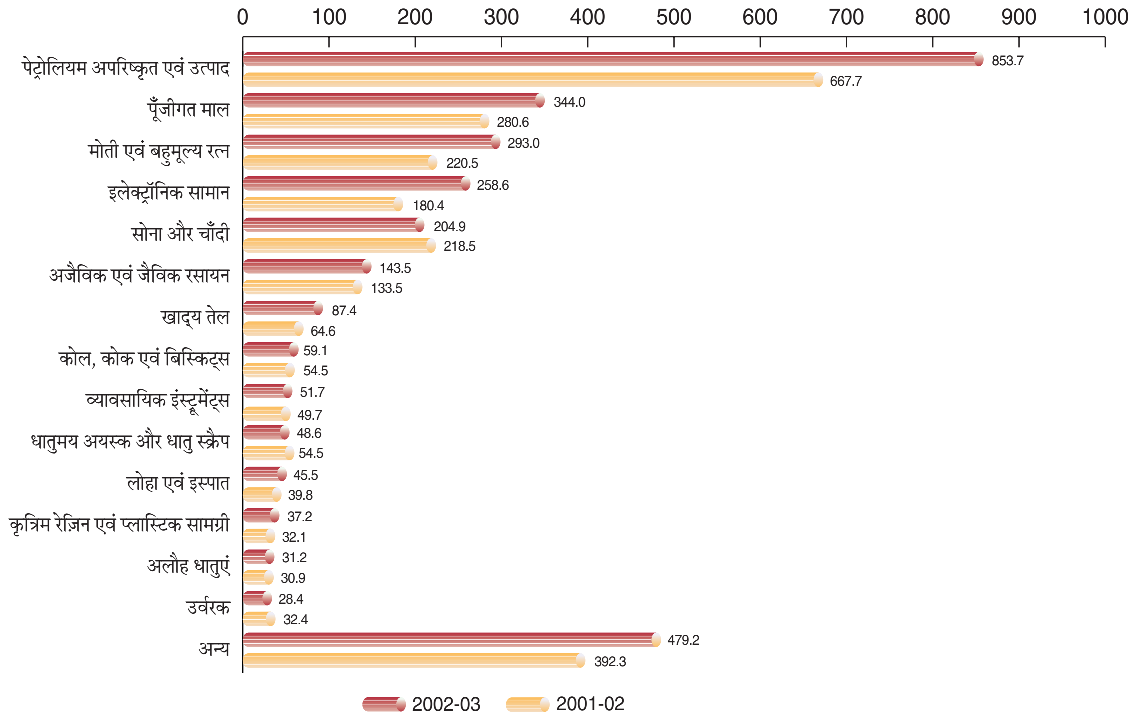

क्षेत्र में गत वर्ष की 6.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7.2 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि से औद्योगिक क्षेत्र के शानदार निष्पादन में सहायता मिली। बिजली क्षेत्र में भी गत वर्ष के 3.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2003-04 के दौरान 5.0 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर दर्ज की गयी। तथापि खनन क्षेत्र में गत वर्ष के दौरान 5.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2003-04 में 5.1 प्रतिशत की निम्नतर वृद्धि दर्ज की गयी। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार पूंजीगत माल क्षेत्र ने गत वर्ष की 10.5 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 2003-04 के दौरान 12.7 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ तेज़ी प्रदर्शित की है।

उपभोक्ता माल क्षेत्र में भी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 11.6 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई, उसके बाद मध्यवर्ती माल क्षेत्र (6.2 प्रतिशत), गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र (5.7 प्रतिशत) और मूल वस्तु क्षेत्र (5.4 प्रतिशत) का स्थान रहा।

विनिर्माण क्षेत्र के सत्रह उप-क्षेत्रों में से 2003-04 में तीन क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। इन क्षेत्रों में कागज एवं कागज उत्पाद और संबद्ध उद्योग, मशीनें तथा परिवहन उपकरण से भिन्न उपकरण और परिवहन उपकरण एवं पुर्जे शामिल हैं। वर्ष के दौरान चार क्षेत्रों में अर्थात् सूती वस्त्र, पटसन एवं अन्य वनस्पति फाइबर वस्त्र, वस्त्र उत्पाद और चमड़ा एवं लोमचर्म में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

बुनियादी क्षेत्र

छह प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण उद्योगों अर्थात् अपरिष्कृत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम शोधन उत्पाद, कोयला, बिजली, सीमेंट तथा तैयार इस्पात ने गत वर्ष के दौरान 5.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2003-04 में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2003-04 के दौरान पेट्रोलियम शोधन उत्पाद, तैयार इस्पात, सीमेंट, कोयला, बिजली तथा अपरिष्कृत पेट्रोलियम ने गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 8.2 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत, 6.1 प्रतिशत, 5.1 प्रतिशत, 5.0 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की।

पूंजी बाज़ार

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल निवेश 2002-03 के 562 मिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2003-04 में 9.95 बिलियन यू एस डॉलर रहा। प्राथमिक बाज़ार से जुटायी गयी पूँजी 2002-03 में

26 निर्गमों से 40.7 बिलियन रुपये की तुलना में 2003-04 में बावन निर्गमों से 200.6 बिलियन रुपये थी।

मुद्रास्फीति

थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित बिंदु-दर-बिंदु आधार पर मुद्रास्फीति की दर मार्च, 2004 को समाप्त सप्ताह में 4.5 प्रतिशत रही, जबकि मार्च 2003 के अंत में यह 6.5 प्रतिशत थी। मुद्रा आपूर्ति (एम 3) में वृद्धि दर 2003-04 में 16.4 प्रतिशत थी जो कि गत वर्ष के 12.8 प्रतिशत के मुकाबले में थी।

विदेश व्यापार एवं भुगतान संतुलन

वर्ष 2003-04 के दौरान पण्य निर्यात में यू एस डॉलर के मूल्य की दृष्टि से 17.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मूल्य की दृष्टि से पण्य निर्यात 2003-04 के दौरान 61.8 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष के दौरान 52.7 बिलियन यू एस डॉलर से अधिक था। इसमें सॉफ्टवेयर निर्यात शामिल नहीं है जो 2002-03 में 9.6 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2003-04 में 12.5 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। यह 30.2 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। निर्यातों में यह तेज़ी वैश्विक आर्थिक कार्यकलापों में वृद्धि तथा घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के शानदार निष्पादन के कारण थी। निर्यात उत्पाद जिनमें 2003-04 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान उच्च वृद्धि दर्ज की गई उसमें पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरी माल, खेल-कूद के सामान, रसायन एवं संबंधित उत्पाद, हीरे स्वर्णाभूषण और प्रसंस्करित खाद्य शामिल हैं।

वर्ष 2003-04 में आयातों में 24.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई और ये गत वर्ष के 60.2 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में बढ़कर 75.2 बिलियन यू एस डॉलर हो गये। गैर-तेल आयातों में तीव्र वृद्धि से समग्र आयात में वृद्धि हुई। घरेलू विनिर्माण कार्यकलापों में उछाल दर्शाते हुए 2003-04 में गैर-तेल आयातों में 29.4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई और यह 55.0 बिलियन यू एस डॉलर के हो गये। वर्ष 2002-03 में तेल आयात 20.2 बिलियन यू एस डॉलर रहा जिसमें गत वर्ष के 26.1 प्रतिशत की तुलना में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2003-04 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान उच्च वृद्धि दर्ज करने वाली आयात मदों में उर्वरक, लोहा एवं इस्पात, मशीनें एवं परिवहन उपकरण, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, धातुनिर्मित वस्तुएं और लकड़ी के उत्पाद शामिल हैं। व्यापार घाटा गत वर्ष के 7.5 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2003-04 में 13.4 बिलियन यू एस डॉलर के उच्च स्तर पर था।

2003-04 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान अदृश्य मदों का निवल प्रवाह वर्ष 2002-03 के 17.0 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 18.2 बिलियन यू एस डॉलर था। चालू खाता अधिशेष, जो 2002-03 के दौरान 4.1 बिलियन यू एस डॉलर था, वर्ष 2003-04(अप्रैल दिसंबर) में 3.2 बिलियन यू एस डॉलर हो गया।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आगमन गत वर्ष के 4.7 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2003-04 में 4.5 बिलियन यू एस डॉलर था। मार्च 2004 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 113.0 बिलियन यू एस

पात्र व्यापार लेन-देनों का वित्तपोषण करने के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक और एक्ज़िम बैंक ऑफ हंगरी के बीच 10 मिलियन यू एस डॉलर प्रत्येक के पारस्पारिक ऋण-व्यवस्था करारों पर हस्ताक्षर किये गये। श्री इस्तवान फर्कास, प्रेसिडेंट, एक्ज़िम बैंक ऑफ हंगरी ने हंगरी के प्रधान मंत्री श्री पीटर मेडगेसी और व्यापार प्रतिनिधि मंडल के भारत दौरे के दौरान मुंबई में करार पर हस्ताक्षर किये।

डॉलर था जो लगभग 18 महीने के आयात के लिए कवर का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत का कुल विदेशी ऋण मार्च 2002 के अंत के 98.8 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर मार्च 2003 के अंत में 104.7 बिलियन यू एस डॉलर और आगे दिसंबर 2003 के अंत में पुनः बढ़कर 112.1 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। कुल विदेशी ऋण के अनुपात में अल्पावधि ऋण का अनुपात यथा मार्च 2002 के 2.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2003 के अंत में 4.4 प्रतिशत और दिसंबर 2003 के अंत में 5.9 प्रतिशत हो गया।

भारत के विदेश व्यापार की दिशा

(बिलियन रुपये में)

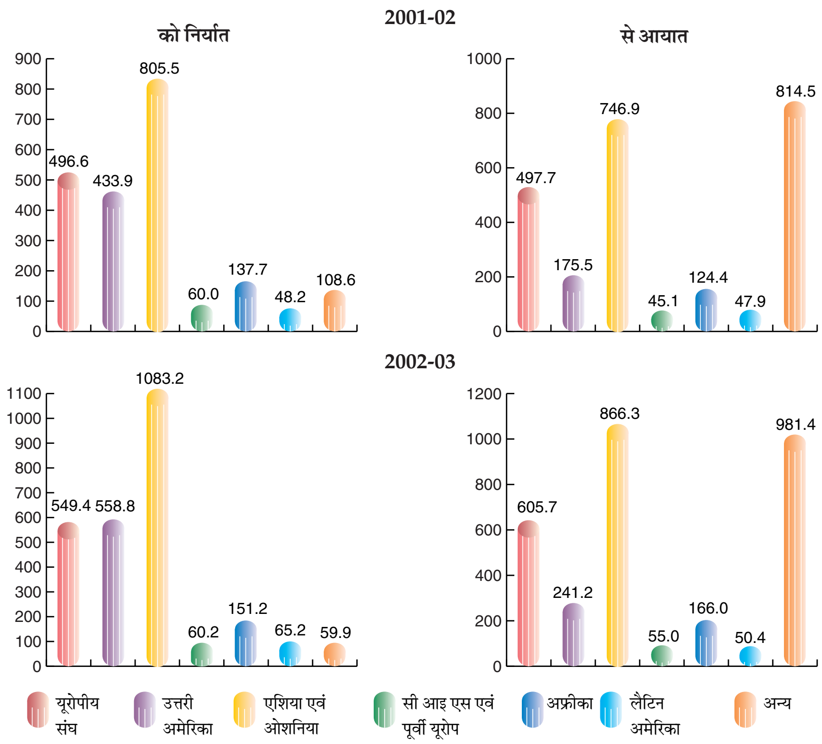

नीतिगत परिवेश

संयुक्त उद्यमों एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में समुद्रपारीय निवेशों को भारतीय उद्यमियों द्वारा वैश्विक व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण अवसरों के रूप में मान्यता दी गई। उदारीकरण की भावना को जारी रखते हुए भारतीय भागीदारी अधिनियम (1932) के अंतर्गत पंजीकृत भारतीय फर्मों को एक वित्तीय वर्ष में उनकी निवल संपत्ति के 100 प्रतिशत या 10 मिलियन यू एस डॉलर या इसके समतुल्य, जो भी कम हो, में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत भारत से बाहर प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए अनुमति देने का निश्चय किया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों को विदेशी संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में उनके निवेशों का विनिवेश करने की अनुमति देकर विनिवेश मानदंडों को सरल बनाया गया है, भले ही ऐसे विनिवेश से गत वर्ष की निर्यात आय से 10 प्रतिशत की सीमा तक निवेशित पूंजी बट्टे खाते में चली जाए।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों के लिए निवेश मानदंडों को भी सरल बनाया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को विदेशी मुद्रा खाते के अपने अधिशेष में से समुद्रपारीय निवेश की अनुमति दी गई है। विदेशी कंपनियों को विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन विनिर्माण एवं सेवा कार्यकलापों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपने शाखा कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

ऋण वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मौद्रिक एवं ऋण नीति (2003-04) की मध्यावधि समीक्षा में प्रस्तावित कई पहलों को कार्यान्वित किया गया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में ऋण आवक को बढ़ाने के लिए अल्पावधि तथा मध्यावधि उपाय सुझाने के लिए सलाहकार समिति गठित की गयी है। इसी तरह बड़ी कंपनियों के साथ लघु उद्योग क्षेत्र की विनिर्माण एवं विपणन सुविधाओं पर विचार करते हुए लघु उद्योग क्षेत्र में ऋण आवक में सुधार देने के सुझाव के लिए एक कार्य-दल भी गठित किया गया है। इसके अलावा, विकास वित्त संस्थाओं पर एक कार्य-दल गठित किया गया है जो एक अलग श्रेणी के रूप में विकास वित्त संस्थाओं के लिए

अल्पावधि संसाधनों तक पहुँच सहित विभिन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षी पहलुओं की जांच करेगा।

भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को गति प्रदान करने, भारतीय निर्यातों की उत्तरोत्तर वृद्धि को त्वरित करने तथा अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी माल एवं सेवाओं के निर्माण के लिए भारत को विनिर्माण केन्द्र के रूप में उभरने में समर्थ बनाने के लिए सरकार ने 28 जनवरी, 2004 को अनेक सुगमीकरण उपायों की घोषणा की है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं : सोने, चांदी के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाना, साख पात्रता वाले निर्यातकों के लिए स्वर्ण कार्ड योजना, शून्य शुल्क वाली मदों के लिए मान्य निर्यात लाभ तथा मान्य निर्यातों के लिए आयात कर बैंड दरों के निर्धारण का विकेंद्रीकरण।

बड़े मूल्य के निर्यातों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की वैधता अवधि को 30 सितंबर 2004 तक और आगे बढ़ाया गया। साथ ही, 1 जनवरी, 2004 से कतिपय शर्तों के अधीन निर्यातकों को अपने बकाया निर्यात को स्वयं बट्टे खाते में डालने तथा सामान्य वसूली अवधि को बढ़ाकर 180 दिनों से अधिक करने की भी अनुमति दी गई है।

सरकार ने अप्रत्यक्ष कर ढांचे को भी नया रूप दिया है। गैर-कृषि माल पर सीमाशुल्क की चरम दर को 5 प्रतिशत घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि 4 प्रतिशत के अतिरिक्त सीमाशुल्क को हटा दिया गया है। संयंत्र और मशीनों में कम से कम 50 मिलियन रुपये के निवेश वाले परियोजना आयातों पर सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की गयी। बिजली पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं पर भी सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की गयी।

निवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधाओं को और अधिक सरल और उदार बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में यह निश्चय किया गया है कि निवासी भारतीय व्यक्ति ऐसी जमा प्राप्त करने वाले भारतीय और विदेशी बैंकों को उचित प्रकटन मानदंडों (निवेशक संरक्षण के लिए) के अधीन 25,000 यू एस डॉलर प्रति कैलेण्डर वर्ष स्वतंत्र रूप से प्रेषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीयों द्वारा स्वास्थ्य बीमा, समुद्रपारीय कार्यालयों को अल्पावधि ऋण, रायल्टी सहित प्रेषणों पर से कुछ प्रतिबंध भी हटाए गए हैं।

एमिरेट्स ग्रेन प्रोडक्ट्स कंपनी एल एल सी की फैक्टरी में आटा तथा कन्फेक्शनरी उत्पादों के लिए शारजाह, यू ए ई में पहली बार भारतीय गेहूँ का आयात किया जा रहा है। एक्ज़िम बैंक ने नियमित आधार पर भारतीय गेहूँ का आयात सुगम बनाने के लिए शारजाह कंपनी को संचयी रूप से कुल 35 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है।

भारत : द्रुतगामी प्रगति

(2003-04 में प्रमुख नीतिगत परिवर्तन)

निवेश नीति

- भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों को विदेशों में संयुक्त उद्यमों / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को विनिवेश करने की अनुमति, भले ही ऐसे विनिवेश से गत वर्ष की निर्यात आय से 10 प्रतिशत की सीमा तक निवेशित पूँजी को बट्टे खाते से डालना पड़े।
- भारतीय फर्मों को एक वित्तीय वर्ष में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अपनी निवल संपत्ति का 100 प्रतिशत या 10 मिलियन यू एस डॉलर, इनमें से जो भी कम हो, विदेशों में निवेश की अनुमति दी गई।
- भारतीय कार्पोरेटों एवं पंजीकृत भागीदारी फर्मों को सीधे या समुद्रपारीय कार्यालयों के माध्यम से विदेशों में कृषि कार्यकलाप शुरू करने की अनुमति दी गई।
- भारतीय विदेशी कंपनियों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विनिर्माण एवं सेवा कार्यकलाप शुरू करने के लिए शाखा कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दी गई।

ऋण नीति

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए अल्पावधि एवं मध्यावधि उपाय सुझाने के लिए सलाहकार समिति का गठन।
- लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रवाह में सुधार के लिए सुझाव हेतु कार्य-दल की स्थापना।
- अन्य बातों के साथ-साथ विकास वित्त संस्थाओं के लिए अलग श्रेणी के रूप में अल्पावधि संसाधनों तक पहुँच की जाँच करने के लिए विकास वित्त संस्थाओं पर कार्य-दल की स्थापना।
- बड़े मूल्य के निर्यात के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की वैधता अवधि में 30 सितंबर 2004 तक विस्तार।

व्यापार नीति

- सोने, चांदी के आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त, साखपात्रता वाले निर्यातकों के लिए स्वर्ण कार्ड योजना।
- शून्य शुल्क दरों के लिए मान्य निर्यात लाभ दिए गए। मान्य निर्यात के लिए आयात कर बैंड दरों के निर्धारण का विकेन्द्रीकरण।
- गैर-कृषि माल पर से सीमाशुल्क की चरम दर को 5 प्रतिशत घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया।
- 4 प्रतिशत की विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क समाप्त की गयी।
- परियोजना आयातों (संयंत्र एवं मशीनों पर न्यूनतम 50 मिलियन रुपये का निवेश) पर सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गयी। बिजली पारेषण और वितरण परियोजनाओं पर सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गयी।

विदेशी मुद्रा नीति

- स्वास्थ्य बीमा, समुद्रपारीय कार्यालयों को अल्पावधि ऋण, रॉयल्टी सहित भारतीयों द्वारा प्रेषणों पर से कुछ प्रतिबंधों को समाप्त किया गया।
- भारतीय व्यक्तियों के लिए 25,000 यू एस डॉलर की प्रति कैलेंडर वर्ष की उदारीकृत प्रेषण योजना।
- निर्यातकों को बकाया निर्यात देय राशियों को बट्टे खाते में डालने की अनुमति दी गई तथा सामान्य वसूली अवधि को स्वयं 180 दिनों के बाद बढ़ाने की भी अनुमति दी गई।

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा लेखों के साथ, इस बैंक द्वारा निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता रहो रही है।

परिचालनों की समीक्षा

2003-04 (अप्रैल-मार्च) के दौरान, बैंक ने अपने विभिन्न उधार कार्यक्रमों के अंतर्गत 92.66 बिलियन रुपये की राशि मंजूर की है जो 2002-03 (अप्रैल-मार्च) में मंजूर की गई 78.28 बिलियन रुपये की तुलना में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संवितरण 69.57 बिलियन रुपये रहे जबकि 2002-03 में ये 53.20 बिलियन रुपये के थे। इस प्रकार इनमें 30.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। 31 मार्च 2004 को ऋण आस्तियां 107.75 बिलियन रुपये की थीं। इनमें गत वर्ष की तुलना में 22.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समीक्षाधीन के दौरान बैंक ने 2002-03 के 9.33 बिलियन रुपये की तुलना में कुल 10.79 रुपये की गारंटियां मंजूर की हैं। जारी की गई गारंटियां 2002-03 के 7.27 बिलियन रुपये की तुलना में 5.74 बिलियन रुपये की थीं। 31 मार्च 2004 को बैंक की बहियों में गारंटियाँ 31 मार्च 2003 के 16.13 बिलियन रुपये की तुलना में 15.77 बिलियन रुपये की थीं। रुपया ऋण तथा अग्रिम यथा 31 मार्च 2004 को कुल ऋण आस्तियों का 53.7 प्रतिशत था जबकि शेष 46.3 प्रतिशत विदेशी मुद्रा में थे। कुल ऋणों तथा अग्रिमों से अल्पावधि ऋणों का हिस्सा 26.3 प्रतिशत था। बैंक ने 2003-04 के दौरान, सामान्य निधि लेखे में 3.04 बिलियन रुपये का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है जबकि वर्ष 2002-03 में यह लाभ 2.69 बिलियन रुपये का था। 750 मिलियन रुपये का आय कर प्रावधान करने के बाद 2003-04 के दौरान कर पश्चात लाभ 2.29 बिलियन रुपये रहा जबकि 2002-03 में यह लाभ 2.07 बिलियन रुपये था। इसमें 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। इस लाभ में से 470 मिलियन रुपये भारत सरकार को लाभांश के रूप में अदा किये जायेंगे। लाभांश के जरिये वितरित लाभ पर कर के लिए 60.2 मिलियन रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। 902.1 मिलियन रुपये की राशि आरक्षित निधि में अंतरित कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त बैंक ने निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि लेखे में 310 मिलियन रुपये, ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाओं) में 150 मिलियन रुपये तथा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में 400 मिलियन रुपये अंतरित किये हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान निर्यात संवर्धन निधि का कर-पूर्व लाभ वर्ष 2002-03 के दौरान 22.7 मिलियन रुपये की तुलना में 20.9 मिलियन रुपये था। 6.2 मिलियन रुपये का कर प्रावधान करने के बाद कर-पश्चात् लाभ 2002-03 के दौरान 15.5 मिलियन रुपये की तुलना में 14.7 मिलियन रुपया था। 14.7 मिलियन रुपये का लाभ अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया गया है।

वर्ष के वित्तीय परिणाम का अनुमोदन करने के लिए हो रही बैंक के निदेशक मंडल की बैठक।

व्यवसाय परिचालन

बैंक के व्यवसाय परिचालनों की समीक्षा निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है :

I. परियोजनाओं, उत्पादों और सेवाओं का निर्यात

II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन

III. नयी पहलें

IV. वित्तीय निष्पादन

V. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ

VI. संवर्धनात्मक कार्यक्रम

VII. सूचना प्रौद्योगिकी

VIII. शोध एवं विश्लेषण

IX. मानव संसाधन प्रबंधन

X. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

XI. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

I. परियोजनाओं, उत्पादों और सेवाओं के निर्यात

निर्यात संविदाएं

वर्ष के दौरान 75.43 बिलियन रुपये की एक सौ चौसठ संविदाएँ एक्ज़िम बैंक की सहायता से छियानवें भारतीय निर्यातकों ने अड़तालीस देशों के लिए प्राप्त कीं, जबकि पिछले वर्ष के दौरान उनसठ भारतीय निर्यातकों द्वारा पैंतालीस देशों से एक सौ दस संविदाएँ प्राप्त की गयी थीं जो 65.31 बिलियन रुपये मूल्य की थीं। एक्ज़िम बैंक / कार्यकारी दल* इस प्रकार की निर्यात संविदाओं को स्वीकृति प्रदान करता है।

एक्ज़िम बैंक की सहायता से इस वर्ष के दौरान प्राप्त की गयी संविदाओं में 40.32 बिलियन रुपये मूल्य की अट्ठाईस टर्नकी संविदाएं, 14.58 बिलियन रुपये मूल्य की ग्यारह निर्माण संविदाएं, 19.10 बिलियन रुपये मूल्य की एक सौ चौदह आपूर्ति संविदाएं और 1.43 बिलियन

बैंक के प्रमुख कार्यक्रम

निर्यात ऋण

- ऋण-व्यवस्थाएँ
- क्रेता-ऋण
- पोत लदान-पूर्व ऋण
- आपूर्तिकर्ता ऋण
- परामर्श और प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए वित्त
- परियोजना निर्यात संविदाओं के लिए नकद प्रवाह वित्त
- वाणिज्य बैंकों को पुनर्वित्त
- गारंटियाँ

सेवाएँ

- निर्यात विपणन सेवा
- सलाहकारी सेवाएँ (बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा निधिक परियोजनाओं के लिए)
- ज्ञान संवर्धन (शोध अध्ययनों के निष्कर्षों का प्रसार)
- सूचना सेवाएँ (देश, बाज़ार और क्षेत्रीय अध्ययन)
- संयुक्त उद्यम सुगमीकरण

संवर्धनात्मक कार्यक्रम

भारतीय परामर्शदात्री सेवाओं का निम्नलिखित के जरिये संवर्धन :

- अफ्रीका परियोजना विकास सुविधा
- अफ्रीकन मैनेजमेंट सर्विसिज़ कंपनी
- मीकाँग परियोजना विकास सुविधा
- दक्षिणपूर्व यूरोप उद्यम विकास
- चीन परियोजना विकास सुविधा
- दक्षिण एशिया उद्यम विकास सुविधा
- निजी उद्यम साझेदारी (सी आइ एस देश)

निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए वित्त

- परियोजना वित्त
- उपकरण वित्त
- कार्यशील पूँजी वित्त (लघु एवं मध्यम अवधि)
- समुद्रपारीय निवेश वित्त (समुद्रपारीय उद्यमों में ईक्विटी वित्त/ईक्विटी सहभागिता)
- वाणिज्य बैंकों को पुनवित्त
- निर्यात विपणन वित्त
- निर्यात उत्पाद विकास के लिए वित्त
- आयात वित्त
- साफ्टवेयर प्रशिक्षण संस्थानों/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों के लिए वित्त
- लघु बन्दरगाह विकास और अन्य निर्यात सुगमीकरण परियोजनाओं के लिए वित्त

*कार्यकारी दल एक अंतर संस्थागत व्यवस्था है जिसमें एक्ज़िम बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम लि., भारत सरकार तथा वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं। यह एक्ज़िम बैंक के तत्वावधान में कार्य करता है।

रुपये मूल्य की ग्यारह परामर्शदात्री संविदाएं शामिल थीं।

इस वर्ष प्राप्त की गयीं कुछ बड़ी टर्नकी संविदाओं में लीबिया में बिजली परियोजना, इराक, लीबिया, ट्यूनिशिया और संयुक्त अरब अमीरात में पारेषण लाइन परियोजना, बांग्लादेश में सीमेंट संयंत्र, संयुक्त अरब अमीरात में उप-स्टेशन परियोजना और सिंगापोर में जल परिशोधन संयंत्र के निर्माण शामिल हैं। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण परिदृश्य में, पारेषण क्षेत्र में भारत की क्षमता को देखते हुए कोएलिशन-प्रोविजनल अथॉरिटी, इराक द्वारा भारतीय कंपनियों को संविदाएं प्रदान की गयी हैं।

निर्माण संविदाओं में अफ़गानिस्तान तथा सूडान में सड़कों का सुधार, क़तार में एसियाड खेल 2006 के लिए सांस्कृतिक गांव, मॉरिशस में प्रदर्शनी केन्द्र का निर्माण और संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्रिलिंग तथा क्रशिंग एग्रीगेड्स के लिए संविदा शामिल हैं।

समीक्षा वर्ष के दौरान प्राप्त मुख्य आपूर्ति संविदाओं में अज़रबैजान को बॉक्साइट, रूस को फार्मास्युटिकल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका को वस्त्र तथा रेडीमेड कपड़े, जर्मनी को सामग्री संचालन तथा प्रिसीजन उपकरणों और दजिबाउटी को सीमेंट संयंत्र का निर्यात शामिल हैं।

कुल प्रमुख तकनीकी परामर्शों तथा सेवा संविदाओं में संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निर्यात सेवाएं तथा समाधान परियोजनाएं, अल्जीरिया में हाटलाइन स्टिंजिंग परियोजनाएं; तथा संयुक्त अरब अमीरात में अंतर-रिफायनरीज पाइपलाइन के लिए फ्रंट-एंड इंजीनियरी और डिज़ाइन परियोजना शामिल हैं।

निर्यात ऋण तथा गारंटियाँ

वर्ष के दौरान बैंक ने परियोजना निर्यात के लिए आपूर्तिकर्ता ऋण, क्रेता ऋण, वित्त के जरिए गत वर्ष के 31.56 बिलियन रुपये की तुलना में 45.58 बिलियन रुपये मंजूर किये जो गत वर्ष के दौरान मंजूरियों में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ष के दौरान संवितरण गत वर्ष के 23.28 बिलियन रुपये की तुलना में 41.01 बिलियन रुपये रहे जो 76 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

मंजूर की गई गारंटियाँ गत वर्ष के दौरान 9.33 बिलियन रुपये की तुलना में 10.79 बिलियन रुपये की थीं। ये गारंटियाँ समुद्रपारीय तकनीकी परामर्शी संविदाओं, बिजली उत्पादन तथा पारेषण संविदाओं, बुनियादी क्षेत्र में निर्माण संविदाओं और विदेश व्यापार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत जारी निर्यात दायित्व गारंटियों से संबंधित हैं।

ऋण-व्यवस्थाएं

एक्ज़िम बैंक समुद्रपारीय वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, प्रभुत्तासंपन्न सरकारों और अन्य समुद्रपारीय संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएँ प्रदान करता है ताकि इन देशों के क्रेता आस्थागित भुगतान शर्तों पर भारत से माल तथा सेवाओं का आयात कर सकें। भारतीय निर्यातक पोतलदान दस्तावेज़ों के परक्रामण पर किसी प्रतिभूति के बिना एक्ज़िम बैंक से पात्र मूल्य का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ऋण-व्यवस्था एक ऐसा वित्तपोषण तंत्र है जो भारतीय निर्यातकों को, विशेषकर लघु

और मध्यम आकार के उद्यमों को, वित्तपोषण के विकल्पों का सहारा न लेने का एक सुरक्षित माध्यम उपलब्ध कराता है और प्रभावी बाज़ार प्रवेश माध्यम के रूप में कार्य करता है। वृद्धिशील प्रतिस्पर्धी परिवेश होने के कारण एक्ज़िम बैंक अपने ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के अधीन तत्परतापूर्वक इसकी भौगोलिक पहुँच और मात्रा में विस्तार करना चाहता है।

वर्ष के दौरान एक महत्त्वपूर्ण घटना यह थी कि भारत सरकार ने 2003-04 के आम बजट में इस निर्णय की घोषणा की थी कि भारत सरकार की सभी निर्यात ऋण-व्यवस्थाएं एक्ज़िम बैंक के माध्यम से होंगी। भारत सरकार विकासशील देशों को भारत के निर्यात का वित्तपोषण करने के लिए उन्हें ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करती है।

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने कुल 168 मिलियन यू एस डॉलर की बारह ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जिनका उद्देश्य भारत से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को सहायता प्रदान करना है। समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्रदान की गई ऋण-व्यवस्थाओं में सेंट्रल बैंक ऑफ दजिबाउटी, घाना सरकार, ज़ाम्बिया सरकार, सूडान सरकार, दक्षिण अफ्रीका में ए बी एस ए बैंक लि.; एक्ज़िम बैंक ऑफ हंगरी (पारस्परिक आधार पर), बैंक आउस्ट अफ्रीकन डि डिवेलपमेंट (पश्चिमी अफ्रीकी विकास बैंक) जिसमें आठ देश अर्थात बेनिन, बुर्कीना फासो, कोत दि वुआर, गीनिया बिसाऊ, माली, नाइजर,सेनेगल और टोगो, बैंक गॉस्पोडारस्टवा क्रायजोवेगा (नैशनल ईकॉनामी बैंक), पोलैंड, बैंक तुरानएलम, कज़ाकिस्तान, छह इरानी वाणिज्यिक बैंकों, अंगोला सरकार तथा रिपब्लिक बैंक लि. त्रिनिदाद व टोबॅगो को प्रदान की गईं ऋण-व्यवस्थाएँ शामिल हैं। भारत सरकार की एक्ज़िम नीति के अधीन सभी अनुमत वस्तुओं के निर्यात अब बैंक की ऋण-व्यवस्थाओं के अधीन शामिल हैं।

कुल 530 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण वचनबद्धता के साथ महाद्वीप में इक्यावन देशों को शामिल करते हुए अट्ठाइस ऋण-व्यवस्थाएं इस समय उपयोग के लिए उपलब्ध हैं और कई ऋण-व्यवस्थाएं बातचीत के विभिन्न चरणों में हैं।

II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन

यह बैंक भारतीय कंपनियों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उद्दिष्ट वित्तपोषण कार्यक्रमों की एक शृंखला परिचालित करता है। बैंक ने 2003-04 के दौरान निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के कार्यक्रम के अधीन कुल मिलाकर

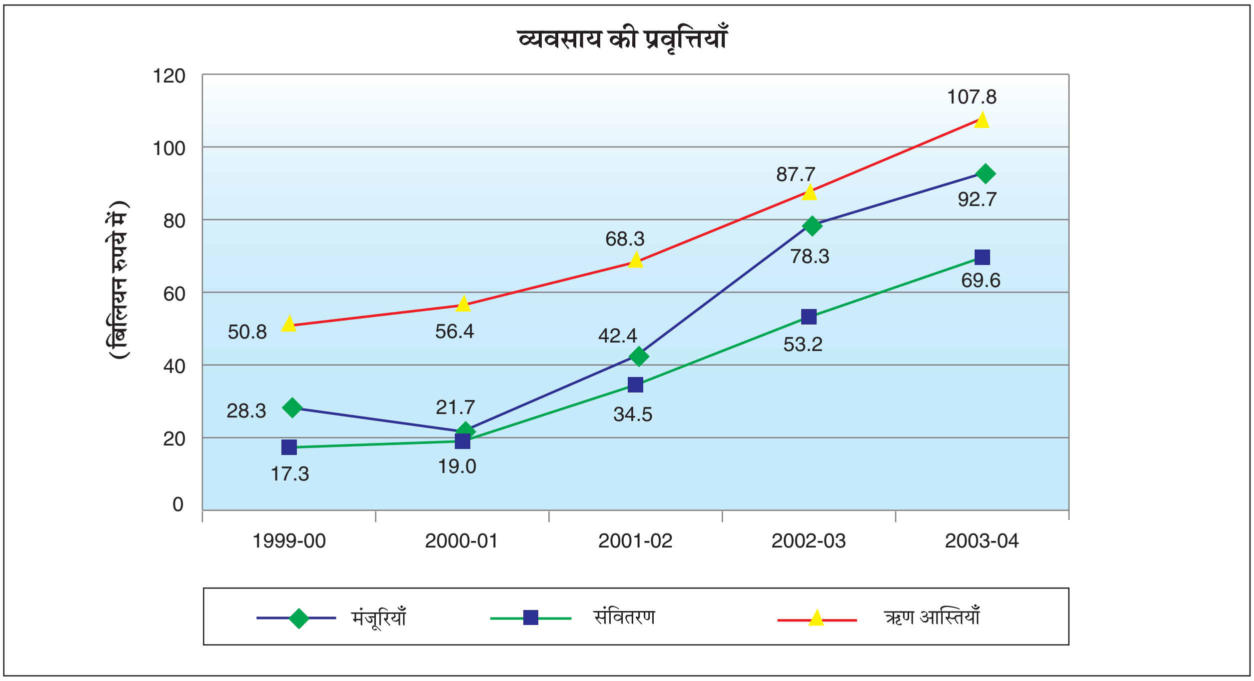

39.46 बिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये हैं। इन कार्यक्रमों के अधीन कुल 27.03 बिलियन रुपये की राशि संवितरित की गयी है।

निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण

समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने तैंतालीस निर्यात उन्मुख इकाइयों को 9.03 बिलियन रुपये के सावधि ऋण मंजूर किये हैं। इन ऋणों में 1.75 बिलियन रुपये की वह राशि भी शामिल है जो तीन इकाइयों को वाणिज्य बैंकों को पुनर्वित्त के जरिये दी गई थी। समीक्षा वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन संवितरणों की राशि 5.18 बिलियन रुपये है। इसमें वाणिज्य बैंकों को 1.75 बिलियन रुपये की पुनर्वित्त की गई राशि शामिल है।

उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के अधीन चौबीस निर्यातक कंपनियों को उत्पादन उपकरणों की प्राप्ति के वित्तपोषण के लिए 5.65 बिलियन रुपये मंजूर किये गये थे। इस कार्यक्रम के अधीन संवितरणों की राशि 2.16 बिलियन रुपये है।

सैंतीस कंपनियों को कुल मिलाकर 7.66 बिलियन रुपये के दीर्घावधि कार्यशील पूँजी ऋण मंजूर किये गये हैं। उक्त कंपनियों को किये गये संवितरणों की राशि 6.01 बिलियन रुपये है।

वर्ष के दौरान बैंक ने विकसित देशों के बाज़ारों में प्रवेश करने और अपनी उपस्थिति को बनाये रखने के लिए रणनीतिक निर्यात बाज़ार विकास योजनाओं के लिए दो कंपनियों को 18.9 मिलियन रुपये मंजूर किये और 18.5 मिलियन रुपये संवितरित किये हैं।

बैंक द्वारा वित्तपोषित निर्यात उन्मुख इकाइयों के अंतर्गत वस्त्र, औषधियाँ, रसायन, इंजीनियरी वस्तुएँ, आतिथ्य-सत्कार, धातु और धातु प्रसंस्करण, सिरेमिक, उपभोक्ता वस्तुएँ, कागज़, पेट्रो रसायन, प्लास्टिक और पैकेजिंग, सॉफ्टवेयर, ऑटो अनुषंगी, मनोरंजन तथा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों की व्यापक श्रेणी शामिल है।

उद्योग-वार मंजूरियाँ : 2003-04

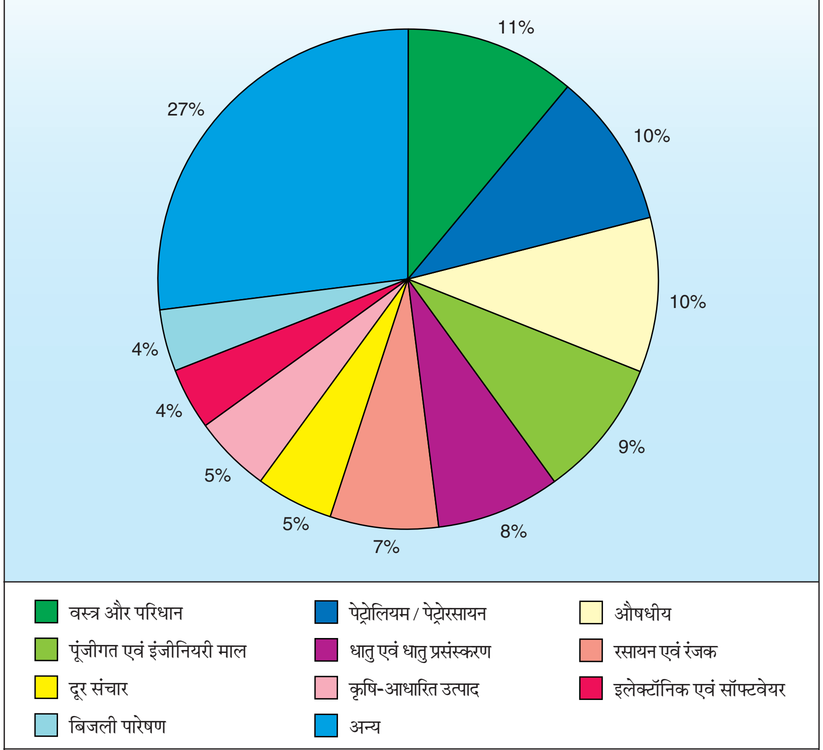

टिप्पणी : ''अन्य'' में निर्माण, ऑटो एवं ऑटो पुर्जे, वाहन, वित्तीय सेवाएँ, उपभोक्ता वस्तुएं, आतिथ्य, सत्कार, पोर्ट, कागज़, सिरेमिक्स, रत्न एवं आभूषण, मनोरंजन, जहाजरानी और पटसन शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

बैंक ने भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वस्त्र और पटसन उद्योग की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अधीन प्राथमिक उधारदात्री संस्था के रूप में दस कंपनियों को कुल मिलाकर 2.02 बिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये हैं। संवितरणों की कुल राशि 982.6 मिलियन रुपये है।

समुद्रपारीय निवेश वित्त

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तीन कंपनियों को उनकी विदेश स्थित सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तपोषण के लिए 214.5 मिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये हैं। वर्ष के दौरान संवितरित की गई राशि 129.1 मिलियन रुपये रही। समुद्रपारीय उद्यम रसायन, इंजीनियरी माल और बिजली उपकरण क्षेत्रों में थे जो क्रमशः ईरान, युनाइटिड किंगडम तथा बांग्लादेश में स्थित हैं।

निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम

समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने 3.56 बिलियन रुपये की राशि पोर्ट सेवाओं के लिए मंजूर की। उक्त राशि में से 3.25 बिलियन रुपये वाणिज्य बैंकों को पुनर्वित

के जरिये प्रदान किये गये। कुल संवितरण 3.74 बिलियन रुपये के थे।

आयात के लिए वित्त

थोक आयात वित्त

थोक आयात वित्त कार्यक्रम के अधीन मंजूरियों और संवितरणों की राशि क्रमशः 1.27 बिलियन रुपये और 1.02 बिलियन रुपये थी।

आयात वित्त कार्यक्रम

आयात वित्त कार्यक्रम के अधीन आठ कंपनियों को 9.04 बिलियन रुपये के सावधि ऋण मंजूर किये गये। संवितरणों की राशि 5.81 बिलियन रुपये थी।

III. नयी पहलें

सेवा क्षेत्र का वित्तपोषण

बैंक ने मनोरंजन उद्योग के वित्तपोषण के क्षेत्र में कदम रखा जिसमें निर्यात की भारी संभाव्यता है। 12 मिलियन रुपये का पहला ऋण हिंदी ब्लॉक बस्टर 'कहो ना प्यार है' (रीनस्यून्ट्रो कॉन एल डे स्टीनो) को स्पेनिश भाषा में डब करने के लिए प्रदान किया गया था। यह फिल्म लगभग 20 स्पेनिश भाषा-भाषी लैटिन अमेरिकी देशों में शीघ्र ही रिलीज़ होने वाली है। यह लैटिन अमेरिकी बाज़ार में वाणिज्यिक पैमाने पर रिलीज़ होने वाली पहली गैर-हॉलीवुड फिल्म होगी।

स्वास्थ्य संवर्धक सेवा क्षेत्र के वित्तपोषण में बैंक का प्रवेश एक सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल परियोजना के लिए आधुनिकतम चिकित्सा उपकरणों के आयात के वित्तपोषण के लिए प्रदान किये गये ऋण के जरिए था।

भारत-लैक व्यवसाय पर तिमाही प्रकाशन

भारत तथा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान देने के लिए अप्रैल 2003 में एक तिमाही पत्रिका ''इंडो - लैक बिज़नेस'' की शुरुआत की गयी। यह पत्रिका उन व्यावसायिक कंपनियों की व्यावसायिक सूचना ज़रूरतों को पूरा करती है जो इस क्षेत्र के साथ व्यापार तथा वाणिज्य में रुचि रखती हैं। यह अंग्रेजी और स्पेनिश में प्रकाशित द्विभाषी पत्रिका है। इसे एक्ज़िम बैंक के समुद्रपारीय कार्यालयों और भारत स्थित लैक क्षेत्र के दूतावासों आदि के माध्यम से भारत तथा लैक क्षेत्र में वितरित किया जाता है।

कृषि व्यापार समूह

कृषि के भूमंडलीकरण और उभरते विश्व व्यापार संगठन परिदृश्य के आलोक में, कृषि व्यवसाय एक वृद्धि क्षेत्र के रूप में उभरा है। एक्ज़िम बैंक ने भी कृषि निर्यात को एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की है और एक कृषि व्यापार समूह की स्थापना की है। इस समूह का उद्देश्य निर्यात संभाव्यता वाले कृषि व्यवसाय को सुगम बनाना, उसे बढ़ावा देना तथा उसे वित्तपोषित करना है। अपनी व्यवसाय रणनीति के हिस्से के रूप में एक्ज़िम बैंक ने कृषि व्यवसाय क्षेत्र में संबंधित संगठनों जैसे नाबार्ड, अपेडा, (सी एफ टी आर आइ), एग्रीकल्चरल फाइनान्स कार्पोरेशन लि., केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और स्माल फार्मर्स एग्री-बिज़नेस कन्सोंटियम (एस एफ ए सी) के साथ संबंध विकसित किये हैं। बैंक एस एफ ए सी का प्रवर्तक सदस्य है। बैंक ने देश में

फ्रेंच भाषा-भाषी पश्चिम अफ्रीका में बी ओ ए डी के सदस्य देशों को भारत के निर्यात में सहायता देने के लिए 10 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था पर हस्ताक्षर करते हुए श्री इसा कॉलीबैली, वाईस प्रेसिडेंट, वेस्ट अफ्रीकन डिवेलेपमेंट बैंक (बांक क्वेस्ट अफ्रीकन दी डिवेलेपमेंट) - बी ओ ए डी। बी ओ ए डी पश्चिम अफ्रीकी मौद्रिक संघ (यू एम ओ ए) के तत्त्वावधान में आठ पश्चिमी अफ्रीकी देशों के लिए एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। एक्ज़िम बैंक बी ओ ए डी में एक मिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य इक्विटी हिस्सा लेगा और इस प्रकार यह बी ओ ए डी के शेयरधारक के रूप में शामिल होनेवाली पहली गैर-क्षेत्रीय, गैर यूरोपीय संस्था होगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकसित करने के लिए एक्ज़िम बैंक की विशेषज्ञता से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रयासों के साथ तालमेल बैठाने के लिए उनके साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। बैंक द्वारा वित्तपोषित सात परियोजनाओं को सहायता के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास भी भेजा गया है और इन परियोजनाओं से परिचालन के पहले पांच वर्षों में लगभग 10 बिलियन रुपये का वृद्धिशील निर्यात होने का अनुमान है। बैंक ने नाबार्ड तथा अपेडा के साथ भी एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। इस करार का उद्देश्य इन संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देना और उनकी कार्य प्रणाली को समन्वित करना है ताकि भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात को और अधिक बढ़ाया जा सके।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बैंक वित्त में मशरूम, दलहन, समुद्रीय आहार, मसाले, सोया, एरंडी तेल व्युत्पन्न, चावल, चाय, मोझरेला चीज़, फल रस या गूदा, इंस्टैंट कॉफी, खीरा, हर्बल अर्क, औषधि तथा कॉस्मेटिक्स, आर्गेनिक खाद्य उत्पाद, खाने के लिए तैयार उत्पाद, शहद के निर्माण तथा / या प्रसंस्करण में लगी इकाइयों को सावधि वित्त और निर्यात वित्त शामिल हैं। वित्तपोषित इकाइयों में लदाख क्षेत्र में स्थापित एक सीबकथार्न फल जूस, गूदा तथा तेल इकाई और मणिपुर में पैशन फल रस इकाई शामिल है।

कृषि क्षेत्र को बैंक वित्त में दाक्षलता, बागवानी,संविदा कृषि को सावधि वित्त और कृषि पण्यों अर्थात् बासमती चावल, गेहूँ, चीनी, कॉफी, मूंगफली,काजू, तिल

एक्ज़िम बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना निर्यात संविदाएं
(निष्पादन अधीन)

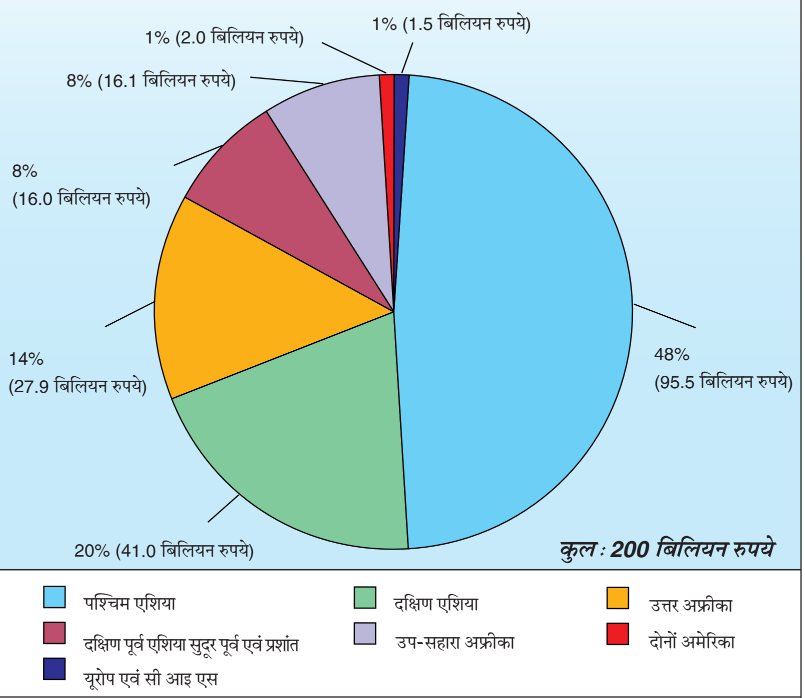

टिप्पणी : 31 मार्च 2004 को 200 बिलियन रुपये मूल्य की 164 परियोजना निर्यात संविदाएं, 35 भारतीय कंपनियों द्वारा एक्ज़िम बैंक की सहायता से 43 देशों में निष्पादन अधीन थीं। इनमें केवल निर्माण, टर्नकी और परामर्शी संविदाएं शामिल हैं।

आदि के निर्यात के लिए निर्यात वित्त शामिल है। बैंक ने भारत से 0.6 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कृषि पण्यों के निर्यात का वित्तपोषण किया है। वित्तपोषित पण्य निर्यात के लिए निर्यात गंतव्य स्थानों में नाइजीरिया, सिंगापोर, इंडोनेशिया, जापान, चीन, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, मलेशिया तथा संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

बैंक एक द्विमासिक समाचार पत्र ''कृषि निर्यात लाभ'' भी प्रकाशित करता है। यह अंग्रेज़ी, हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। इस समाचार पत्र के कृषक समूहों, सरकारी विभागों, कृषि संबद्ध कार्य कलापों में लगी कंपनियों, अनुसंधान संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, विभिन्न परिषदों तथा दूतावासों में भारत तथा विदेशों में बड़ी संख्या में पाठक वर्ग हैं।

विदेशी व्यापार मेलों में सहभागिता

अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंधों को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से बैंक ने विदेशों के चुनिंदा व्यापार मेलों में भाग लिया और अपने उत्पादों तथा सेवाओं की प्रदर्शनी लगायी। बैंक ने भारत व्यापार संवर्धन द्वारा लुसाका में आयोजित ज़ाम्बियन एग्रीकल्चरल एण्ड कमर्शियल शो, तेहरान, इरान के इस्लामिक गणराज्य में ''मेड इन इंडिया शो'' और भारतीय

उद्योग परिसंघ द्वारा यानगॉन, म्याँमार में आयोजित ''मेड इन इंडिया'' शो में भी भाग लिया।

सेमिनार तथा कार्यशालाएँ

खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य तथा हर्बल और औषधियों जैसे क्षेत्रों में बैंक की पहल को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से बैंक ने स्वैच्छिक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति के सहयोग से चेन्नई में एक अंतरराष्ट्रीय हर्बल उत्पाद प्रदर्शनी और सेमिनार, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर के सहयोग से मुंबई में पहली न्यूट्रास्युटिकल बैठक और मुंबई में हर्बल वर्ल्ड 2003 का आयोजन किया। इस अवसर पर बैंक के भारतीय औषधि प्रणाली पर 'रोड बियांड बाउंड्रीज़ : दि केस ऑफ सिलेक्ट इंडियन हैल्थकेयर सिस्टम्स' और ''भारत से आर्गेनिक उत्पादों का निर्यात : संभावनाएं और चुनौतियां'' तथा ''भारतीय औषधीय पौधों और उत्पादों की निर्यात संभाव्यता'' शीर्षक अध्ययन और प्रासंगिक आलेख जारी किये गये। भारत सरकार ने अफ्रीकी महाद्वीप न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज़ डिवेलपमेंट (एन इ पी ए डी) के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया। बैंक ने इस क्षेत्र में बैंक की पहलों पर सूचना का प्रसार करने के लिए नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ संयुक्त रूप में एक कार्यक्रम सह-प्रायोजित किया है।

संयुक्त उद्यम

एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रवर्तित संयुक्त उद्यम ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड (जी टी एफ), वेस्टड्यूश लैंडेस बैंक गिरोज़ेनट्रेल (वेस्ट एल बी), जर्मनी और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, वांशिग्टन डी.सी. का संयुक्त उपक्रम है। इसने सितंबर 2001 में अपना परिचालन आरंभ किया और वित्तीय वर्ष 2003-04 में 8 बिलियन रुपये का टर्नओवर और 15.2 मिलियन रुपये का निवल लाभ दर्ज किया। जी टी एफ लगातार विश्व व्यापार के बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में कार्यरत छोटे और मध्यम भारतीय निर्यातकों के लिए बाज़ार आधारित वित्तपोषण की समस्याओं का समाधान निकालना है। जी टी एफ भारत में पहली बार ज़रूरत के मुताबिक विदेश व्यापार वित्तपोषण उत्पादों जैसे फॉरफेटिंग और फैक्टरिंग सेवाएँ प्रदान करता है।

बैंक का दूसरा संयुक्त उद्यम, ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट्स लि. (जी पी सी एल) ने लाभप्रद परिचालनों का एक और वर्ष पूरा किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2003-04 में 15.36 मिलियन रुपये की परामर्शी आय और 5.98 मिलियन रुपये का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया है। जी पी सी एल ने रूस, पोलैंड में विश्व बैंक के लिए और स्वाज़ीलैंड में अफ्रीकी विकास बैंक के लिए खरीदी से संबंधित परामर्शी नियत कार्य पूरा किया। जी पी सी एल एक्ज़िम बैंक और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली तेरह अन्य प्रतिष्ठित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम है। जी पी सी एल विभिन्न विकासशील देशों में बहुपक्षीय निधीयन एजेंसियों द्वारा निधिक परियोजनाओं के लिए खरीदी संबंधी सलाहकारी तथा लेखा परीक्षा सेवाएँ प्रदान करता है।

भूटान में तला हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना में निर्माणाधीन 92 मी. ऊँचा कंकरीट ग्रैविटी बांध जिसे भारतीय परियोजना निर्यात कंपनियों अर्थात लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड, जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

ऋण वसूली समूह

बैंक के भीतर एक सुस्थापित ऋण निगरानी वसूली नीति के साथ एक ऋण वसूली समूह कार्यरत है। प्रारंभिक चेतावनी संकेत प्रणाली के साथ ही ऋण आस्तियों के ए बी सी वर्गीकरण की प्रणाली लागू करते हुए मानक आस्तियों को अनुपयोज्य आस्तियों में परिवर्तित होने से रोकने के लिए तत्परतापूर्वक कदम उठाये जाते हैं। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विधि तथा बैंकिंग के क्षेत्रों में विशद अनुभव रखने वाले दो प्रख्यात व्यक्तियों से युक्त एक स्वतंत्र संवीक्षा समिति गठित की गई है। यह समिति सभी एक बारीय निपटान प्रस्तावों की जाँच करेगी। समिति मंडल के विचारार्थ अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

उद्योग के साथ परस्पर संपर्क

एक्ज़िम बैंक उद्योग जगत के साथ नियमित रूप से परस्पर संवाद और विचारों का आदान-प्रदान करता है और सहक्रियात्मक वेबसाइट के माध्यम से विशेषज्ञों तथा चुनिंदा निर्यातक कंपनियों के साथ निरन्तर पारस्परिक संपर्क बनाये हुए है।

IV. वित्तीय निष्पादन

संसाधन

31 मार्च 2004 को 6.50 बिलियन रुपये की चुकता पूँजी तथा 14.93 बिलियन रुपये की आरक्षित निधियों सहित बैंक के कुल संसाधन 155.19 बिलियन रुपये के थे। बैंक के संसाधन आधार में बांड, जमा-प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र और विदेशी मुद्रा जमा राशियाँ/उधार राशियाँ / दीर्घावधि विनिमय शामिल हैं।

इस बैंक ने अल्पकालिक नकदी निधि प्रबंधन के हिस्से के रूप में 11.25 बिलियन रुपये मूल्य के वाणिज्यिक पत्र जारी किये हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने 3 से 10 वर्ष की अवधि के लिए बांडों के निजी नियोजन के जरिए 20.25 बिलियन रुपये की राशि जुटायी।

बैंक की ऋण लिखतों को रेटिंग एजेंसियों, क्रिसिल तथा इक्रा से उच्चतम रेटिंग अर्थात 'ए ए ए' प्राप्त है। 31 मार्च 2004 को बांडों तथा वाणिज्यिक पत्रों सहित रुपया उधार 78.82 बिलियन रुपये रहा।

बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से "तटीय निधियों" में से उधार/पारस्परिक सावधि जमाराशियों के जरिए 310 मिलियन यू एस डॉलर जुटाए हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने निर्यात ऋण वित्तपोषण के जरिए वित्त प्रदान करने के लिए 355 मिलियन यू एस डॉलर जुटाए हैं। बैंक ने जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों से माल के आयात के लिए डी जेड बैंक ए जी, जर्मनी के साथ अल्पावधि वित्त के संबंध में एक मास्टर करार निष्पादित किया है। बैंक ने वर्ष 2003-04 के दौरान रुपये / यू एस डॉलर मध्यावधि स्वैप के जरिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा विनिमय भी किये। 31 मार्च 2004 को बैंक के पास 1.2 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन का भंडार था।

आय/व्यय

2003-04 के दौरान बैंक का कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः 3.04 बिलियन रुपये और 2.29 बिलियन रुपये

कज़ाकिस्तान में बैंक तुरेनाऐलम को 10 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। यह कज़ाकिस्तान को प्रदान की गई पहली ऋण-व्यवस्था है जो निकट भविष्य में भारतीय प्रौद्योगिकी तथा परियोजनाओं के लिए सी आइ एस क्षेत्र में एक प्रमुख बाज़ार के रूप उभरने वाला है। बैंक तुरेनाऐलम के बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री सदुकास एच. मामेशटेगी ने भारत के राजदूत श्री वी.एस. वर्मा की उपस्थिति में अलमाटी में एक्ज़िम बैंक के साथ करार का आदान-प्रदान किया।

रहा जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः 2.69 बिलियन रुपये और 2.07 बिलियन रुपये थे। कारोबार आय, जिसमें ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, दलाली और शुल्क शामिल हैं वर्ष 2002-03 के 8 बिलियन रुपये की तुलना में वर्ष 2003-04 के दौरान 9.72 बिलियन रुपये थी। वर्ष 2003-04 के दौरान राजकोषीय आय 3.26 बिलियन रुपये थी जबकि 2002-03 में यह 2.22 बिलियन रुपये थी। वर्ष 2003-04 में 6.25 बिलियन रुपये का ब्याज व्यय 1.31 बिलियन रुपये अधिक था जो मुख्यतः उधारों में वृद्धि के कारण था। गैर-ब्याज व्यय 2002-03 के 6.90 प्रतिशत की तुलना में 2003-04 के दौरान कुल व्यय का 6.47 प्रतिशत था। उधार राशियों की औसत लागत (औसत उधार के प्रतिशत के रूप में ब्याज व्यय) जो 31 मार्च 2003 को 6.88 प्रतिशत थी वह 31 मार्च 2004 के अंत में घटकर 5.96 प्रतिशत रह गयी।

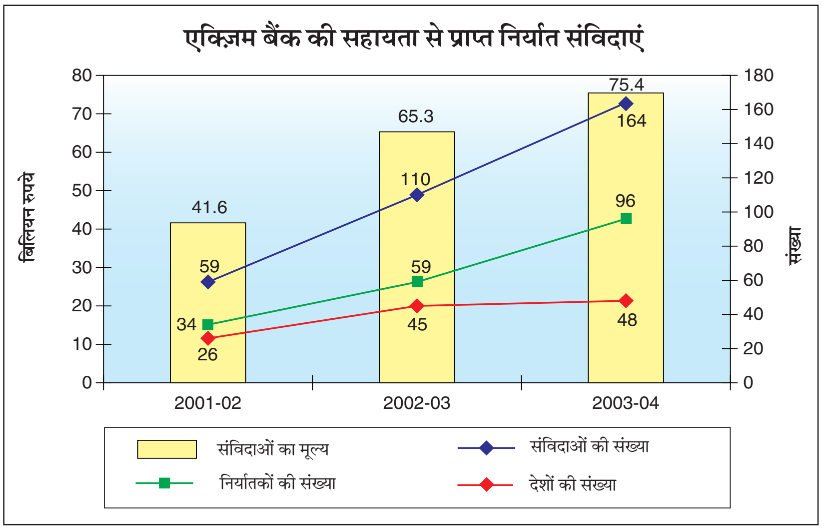

पूँजी पर्याप्तता

जोखिम आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (सी आर ए आर) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2003 के 26.92 प्रतिशत के मुकाबले 31 मार्च 2004 को 23.48 प्रतिशत था। 31 मार्च 2004 को ऋण ईक्विटी अनुपात 5.30:1 रहा जबकि 31 मार्च 2003 को यह 4.32:1 था।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा निष्पादन के अधीन ओमान में हुबरा बिजली सयंत्र का एक दृश्य। एक्ज़िम बैंक ने भारतीय कंपनी को गारंटियां तथा पूरक ऋण प्रदान किये हैं।

वित्त निवेश (एक्सपोज़र) के मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं के लिए 31 मार्च 2002 से एक उधारकर्ता के लिए वित्तीय संस्था की पूँजी निधियों का 15 प्रतिशत और समूह उधारकर्ताओं के लिए 40 प्रतिशत की ऋण सहायता सीमा निर्धारित की है।

31 मार्च 2004 को एकल तथा समूह उधारकर्ताओं को बैंक की वित्तीय सहायता (ऋण आस्तियाँ + अप्रयुक्त मंजूरियाँ + गारंटियाँ) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत पूँजी निधियों के क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत की सीमा के भीतर थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को यह भी सूचित किया है कि वे प्रदान किये जाने वाले वित्त के लिए आंतरिक सीमा लागू करें ताकि विभिन्न क्षेत्रों में ऋण का समान रूप से फैलाव हो। बैंक के लिए उद्योग सहायता सीमाएं कुल ऋण संविभाग का 15 प्रतिशत है, सिवाय वस्त्र

उद्योग के मामले में जिसमें यह 20 प्रतिशत है। 31 मार्च 2004 को बैंक का किसी एकल उद्योग को कुल ऋण सहायता का 12 प्रतिशत से अधिक नहीं था।

राजकोष

बैंक के पास एक एकीकृत राजकोष है और सभी राजकोषीय कार्य अर्थात् रुपया तथा विदेशी मुद्रा दोनों निधियों का प्रबंधन, मुद्रा बाज़ार परिचालन, प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग, विदेशी मुद्रा सौदे आधुनिकतम डीलिंग रूम के माध्यम से किये जाते हैं। बैंक के राजकोष द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों में नकदी / टॉम / हाजिर / वायदा / विदेशी मुद्रा सौदे, ब्याज दर स्वैप / वायदा दर करार / अस्थिर दर ऋण, साख पत्र / गारंटियाँ जारी करना आदि शामिल हैं। बैंक भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इंफिनेट) का एक सदस्य है और इसे बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आइ डी आर बी टी), प्रमाणक प्राधिकारी से पंजीकरण प्राधिकारी की हैसियत प्राप्त है। बैंक के पास भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्धारित लेन-देन प्रणाली के माध्यम से सौदा करने के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र है जो भारत सरकार की प्रतिभूतियों के क्रय के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन मंच प्रदान करता है। बैंक की प्रतिभूति तथा विदेशी मुद्रा लेन-देन मुख्यतः भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सी सी आइ एल) द्वारा प्रदान की गई गारंटी निपटान सुविधा के जरिए किये जाते हैं।

आस्ति-देयता प्रबंधन

बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति नकदी / ब्याज दरों के जोखिमों की समीक्षा करने तथा उनके सुधारात्मक उपायों पर विचार करने के प्रयोजन से महीने में कम से कम दो बार बैठक आयोजित करती है। बैंक की व्यावसायिक संसाधन योजना वर्ष के प्रारंभ में तैयार की जाती है और वर्ष के दौरान उधार राशियाँ हिस्सों में जुटायी जाती हैं। आस्ति देयता प्रोफाइल में सभी समय-समूहों में अंतरों के लिए विवेकपूर्ण सीमायें निर्धारित की गई हैं। बैंक ने एक व्यापक आस्ति देयता प्रबंधन नीति लागू की है जो बाज़ार जोखिमों के तथ्यों अर्थात चलनिधि, ब्याज दर और मुद्रा जोखिमों का प्रबंधन करती है। चलनिधि जोखिम का प्रबंधन चलनिधि नीति ढाँचे के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें निधि योजना तथा आवधिक तनाव परीक्षण शामिल हैं। ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निवल ब्याज आय अस्थिरता दृष्टिकोण और अंतराल विश्लेषण अपनाया गया है। लेखा परीक्षा समिति आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्यों की समीक्षा करती है और निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति की आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण करती है।

एक्ज़िम बैंक ने पौलैंड, जो यूरोपीय संघ में मई 2004 में शामिल हुआ है, को भारत के निर्यात में सहायता देने के लिए बैंक गोस्पोदर्स्तावा क्रैजोवेगो (बी जी के), पोलैंड सरकार के पूर्ण स्वामित्व में एक बैंक, को 10 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की। वारसा, पोलैंड में इस आशय के एक करार पर हस्ताक्षर किये गये।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन कार्य परिचालन समूहों से स्वतंत्र है और यह सीधे शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति विभिन्न जोखिमों (संविभाग, चलनिधि, ब्याज दर, तुलन पत्र से इतर और परिचालन जोखिम), निवेश नीतियों तथा रणनीति और उनसे संबंधित विनियामक तथा अनुपालन मुद्दों के संबंध में बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है। एकीकृत जोखिम

यथा 31 मार्च 2004 को परिचालन गत ऋण-व्यवस्थाएं
(मिलियन यू एस डॉलर में)

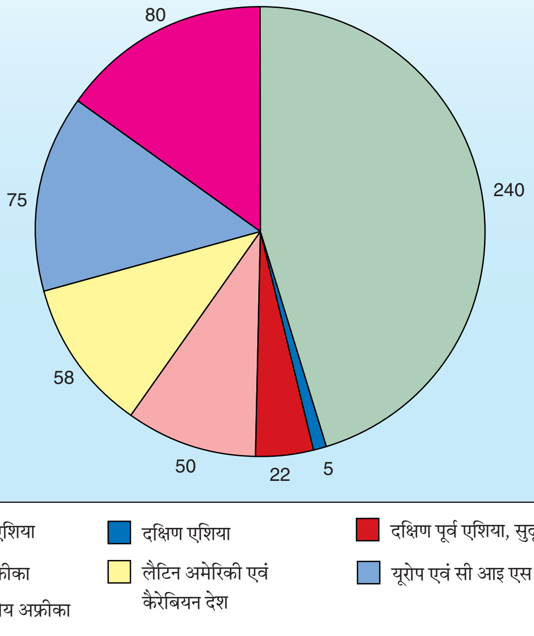

टिप्पणी : अट्ठाईस ऋण-व्यवस्थाएं जिनकी व्याप्ति इक्यावन देशों में हैं वे कुल 530 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-वचनबद्धता के साथ यथा 31 मार्च 2004 को उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन समिति तथा ऋण-जोखिम प्रबंधन समिति के परिचालनों का निरीक्षण करती है जिनमें से दोनों के परस्पर कार्यात्मक प्रतिनिधि होते हैं। जबकि आस्ति देयता प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों को देखती है और बैंक के समग्र बाज़ार जोखिम (चलनिधि, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम) का विश्लेषण करती है, ऋण जोखिम-प्रबंधन समिति ऋण-नीति तथा प्रक्रियाओं से संबंधित कार्य देखती है और बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का विश्लेषण, प्रबंधन तथा नियंत्रण करती है।

आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार उस ऋण / कर्ज़ सुविधा को अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके संबंध में देय ब्याज और / या मूलधन 180 दिनों से अधिक समय से बकाया है। बैंक की अनुपयोज्य आस्तियाँ (प्रावधान घटाकर) गत वर्ष के 2.25 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2004 को इसके ऋण तथा अग्रिमों (प्रावधान घटाकर) का 1.26 प्रतिशत थीं।

आस्ति वर्गीकरण

'अवमानक आस्तियाँ' वे आस्तियाँ होती हैं जिनके ब्याज और / अथवा जिनके मूलधन की किस्तें 180 दिनों से अधिक अतिदेय होती हैं। जहाँ अवमानक आस्ति 18 माह से अधिक अवधि से अनुपयोज्य संपत्ति के रूप में होती हैं, ऐसी आस्तियों को "संदिग्ध आस्तियों" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। "हानि आस्तियाँ" वे होती हैं जो वसूली के योग्य नहीं समझी जातीं। 31 मार्च 2004 को कुल ऋणों तथा अग्रिमों के 1.26 प्रतिशत के स्तर पर निवल अनुपयोज्य आस्तियों में अवमानक तथा संदिग्ध आस्तियाँ क्रमश: 0.74 प्रतिशत 0.52 प्रतिशत रहीं और हानि आस्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

आंतरिक लेखा परीक्षा

बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की देखरेख निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (ए सी) द्वारा की जाती है। इस लेखा परीक्षा समिति की वर्ष में कम-से-कम छह बैठकें होती हैं। बैंक की लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख करना

के ई सी इंटरनैशनल लिमिटेड, मुंबई बिजली पारेषण क्षेत्र में सबसे बड़ा टर्नकी संविदाकार है। ऊपर सोसायटी ट्यूनिशियन डेल इलेक्ट्रीसिटी ड्यू गैस (एस टी ई जी), ट्यूनेशिया, लीबिया अंतर-संयोजन परियोजना के लिए 521 कि.मी. लंबे, 225 किलोवॉट ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण दिखाई दे रहा है। एक्ज़िम बैंक ने भारतीय कंपनी को गारंटियां तथा पूरक ऋण प्रदान किये हैं।

तथा उसे मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि प्रबंधन के एक माध्यम के रूप में उसकी प्रभावशालिता में वृद्धि हो और वह सांविधिक / बाहरी लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाये गये सभी मुद्दों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करे।

V. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ

बैंक सूचना, सलाहकारी और सहायता सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है जो उसके वित्तपोषण कार्यक्रमों को संपूर्ण बनाती है। ये सेवाएँ भारतीय कंपनियों और समुद्रपारीय संस्थाओं को शुल्क के आधार पर प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं के दायरे में बाज़ारों से संबंधित सूचना क्षेत्र और व्यवहार्यता अध्ययन, प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं की पहचान, भागीदारों की खोज, निवेश सुगमीकरण तथा भारत और विदेश दोनों में ही संयुक्त उद्यमों का विकास शामिल है।

यथा 31 मार्च 2004 को ऋणों का क्षेत्रवार वितरण

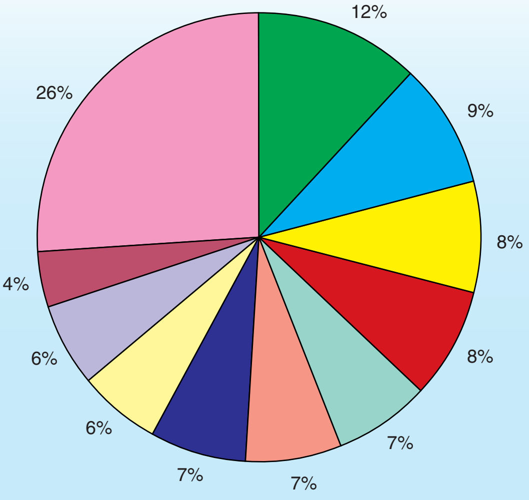

- वस्त्र और परिधान
- निर्माण
- औषधीय
- इंजीनियरी माल
- धातु एवं धातु प्रसंस्करण
- पेट्रोलियम / पेट्रोरसायन
- पूंजीगत माल
- रसायन और रंजक
- इलेक्ट्रॉनिक्स / दूरसंचार
- कृषि-आधारित उत्पाद
- अन्य

टिप्पणी : ''अन्य'' में ऑटो और ऑटो अनुषंगी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बुनियादी क्षेत्र, प्लास्टिक और पैकेज़िंग, कागज़, जहाजरानी, उपभोक्ता वस्तुएं, पटसन, सिरेमिक्स और रत्न एवं आभूषण शामिल हैं।

वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय कंपनियों को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान की हैं। पोलैंड तथा उक्रेन को भारतीय निर्यात, घाना के बागवानी निर्यात उद्योग, जर्मनी, युनाइटिड किंगडम तथा अमेरिका में लैमिनेट के खरीदारों, रूस में फैब्रिक्स के खरीदारों के बारे में सूचना उपलब्ध करायी गई है।

सैमी लैब्स बैंगलोर की आर एण्ड डी प्रयोगशाला का एक दृश्य को भारत से हर्बल औषधीय अर्क तथा उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। वर्ष 2003-04 के दौरान सैमी लैब्स का निर्यात लगभग 600 मिलियन था। एक्ज़िम बैंक ने बैंगलोर में कंपनी के उत्पादों तथा अए एण्ड डी सुविधा का वित्तपोषण किया है।

समुद्रपारीय बहुपक्षीय निधिक परियोजनाएँ (एम एफ पी ओ)

विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक तथा यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं का व्यवसाय प्राप्त करने की भारतीय कंपनियों की संभावनाओं में वृद्धि करने की सहायता करने के लिए बैंक इन कंपनियों को सूचना और सहायता सेवा का पैकेज प्रदान करता है। बैंक ने भारतीय निर्यातक कंपनियों में समुद्रपारीय व्यवसाय के असंख्य अवसरों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार किया है।

एक्ज़िमिअस क्लब

बैंक ने अपने एक्ज़िमिअस क्लब के सदस्यों को सूचना और सलाहकारी सेवाएँ प्रदान की हैं। सदस्य कंपनियों को दी गई सेवाओं के इस पैकेज में बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा निधिक परियोजनाओं में व्यवसाय प्राप्त करने की उनकी संभावनाओं में सुधार लाने पर सकेंद्रित किया गया है। ये कंपनियाँ इंजीनियरी, बिजली पारेषण, दूरसंचार, निर्माण तथा इंजीनियरी डिज़ाइन परामर्श जैसे क्षेत्रों में व्यापक रुचि रखती हैं।

भारतीय कंपनियों के लिए निर्यात विपणन सेवा

बैंक ने विदेशों में स्थित अपने कार्यालयों की सेवाओं का उपयोग करते हुए कुछ भारतीय कंपनियों के उत्पादों को विदेशों में प्रतिष्ठित करने में उनकी सहायता की।

हंगरी : कोयम्बतूर आधारित फर्म द्वारा विनिर्मित दो आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड हाइजिन एंड न्यूट्रिशन, हंगरी के साथ सफलतापूर्वक पंजीकरण प्राप्त किया गया जिससे उसके निर्यात का मार्ग प्रशस्त हुआ है। दोनों उत्पादों के लिए पहला निर्यात आदेश भी प्राप्त हो चुका है।

दक्षिण अफ्रीका : बैंक ने दक्षिण अफ्रीका में एक अभिनिर्धारित वस्त्र निर्माता के साथ कार्य करना जारी रखा। निर्माता ने मध्यम आकार की भारतीय कंपनी को सूती वस्त्र के लिए अब तक कई आदेश दिये हैं और इस प्रकार इसे एक नियमित स्रोत आधार बनाया है।

बैंक ने एक अग्रणी दक्षिण अफ्रीकी समुद्रीय आहार रेस्टोरेंट की पहचान की है और मध्यम आकार के एक भारतीय समुद्रीय आहार निर्यातक से आपूर्तियों के लिए उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बातचीत में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय कंपनी ने वर्ष के दौरान 10 मिलियन रुपये से अधिक मूल्य के अब तक चार निर्यात आदेश निष्पादित किये हैं।

सिंगापुर : बैंक ने एक भारतीय फर्म की ओर से लेखन सामग्री मदों के लिए एक चीनी डिपार्टमेंटल स्टोर्स से आदेश प्राप्त किया है। इस आदेश को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को उपलब्ध अवसरों पर ज़ोर देते हुए बैंक एक अग्रणी भारतीय एफ एम सी जी कंपनी के सहयोगी फर्म द्वारा ब्राज़ील में उत्पादों की प्रीमियम कास्मेटिक श्रृंखला शुरू करने में भी सहायता प्रदान कर रहा है। ब्राज़ील में वितरण श्रृंखला स्थापित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

लाभ और लाभांश की प्रवृत्तियाँ

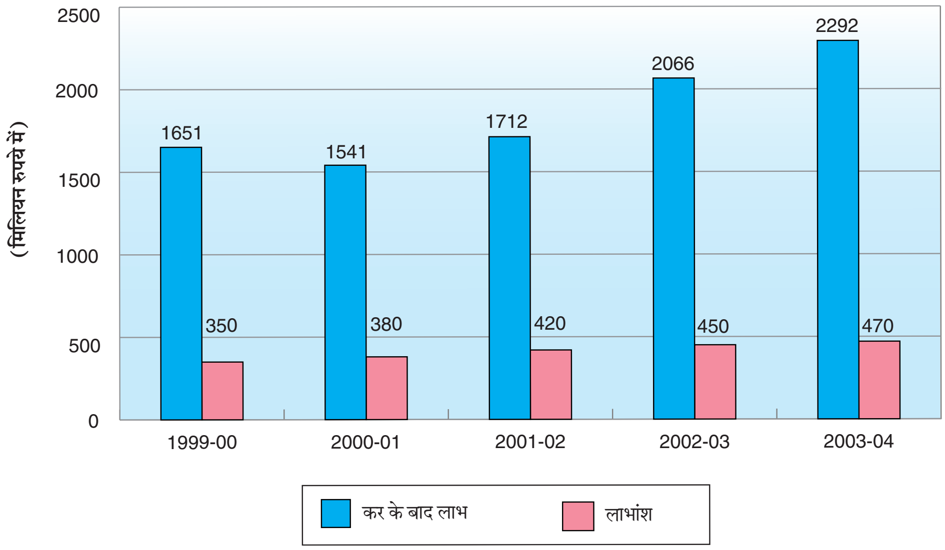

संस्थागत संबंध

बैंक ने व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता करने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों, निर्यात प्रापण एजेंसियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं, व्यापार संवर्धन निकायों और निवेश संवर्धन मंडलों के साथ गठबंधन और संस्थागत संबंधों का एक नेटवर्क विकसित किया है।

बैंक ने केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी एफ टी आर आइ) के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। यह समझौता-ज्ञापन अनुपूरक शक्तियों में संवर्धन करेगा और सी एफ टी आर आइ द्वारा किये गये अनुसंधान और निर्यात के संबंध में इसके वाणिज्यिक सहयोग को बढ़ावा देगा।

वर्ष के दौरान बैंक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल, भारत का एक सदस्य बना है।

एडफिएप डिवेलपमेंट अवार्ड

एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में विकास वित्त संस्थाओं का संघ (एडफिएप) डिवेलपमेंट अवार्ड ऐसी सदस्य संस्थाओं को सम्मानित करता है जिन्होंने ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है जो उनके संबंधित देशों में विकास का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अवार्ड उन सदस्य संस्थाओं को दिया जाता है, जिन्होंने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय तथा नवोन्मेषी विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित या प्रवर्धित किया है। एक्ज़िम बैंक अलमाटी, कज़ाकिस्तान में 27 वीं एडफिएप वार्षिक बैठक के दौरान 2004 के लिए 'ट्रेड डिवेलपमेंट' अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्ज़िम बैंक को एडफिएप द्वारा इस अवार्ड से दूसरी बार सम्मानित किया गया है।

यह अवार्ड बैंक के परामर्शी सहायता कार्यक्रम को मान्यता प्रदान करता है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए अपने अनुभवों तथा विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने के लिए एक अनुकूल वातावरण पैदा करता है। इस कार्यक्रम का सूत्रपात उप-सहारा अफ्रीका में उद्यमियों की सहायता करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आइ एफ सी) के साथ सफलतापूर्वक की गई एक कार्य व्यवस्था से हुआ है। सफलता तथा सकारात्मक अनुभव के आधार पर, एक्ज़िम बैंक की कार्यक्रम की भौगोलिक पहुँच को आइ एफ सी की नई सुविधाओं को शामिल करने के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में , यह कार्यक्रम वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, चीन, सी आइ एस, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है।

बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में अन्य निर्यात ऋण एजेंसियों के साथ घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देता है। फिलिपीन्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्रेडिट एजेंसी (फिलएक्ज़िम) की मेज़बानी में एशियाई निर्यात ऋण एजेंसियों की नौवीं वार्षिक बैठक अक्तूबर 2003 में एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय मनिला, फिलिपीन्स में आयोजित की गई। इस वर्ष सहभागी निर्यात ऋण एजेंसियों द्वारा सुविधा करार पर हस्ताक्षर करने के साथ द्विपक्षीय साख पत्र पुष्टिकरण सुविधा व्यवस्था की शुरुआत हुई जिसका उद्देश्य लेन-देन लागत को कम करना और क्षेत्र में देशों के बीच मौजूदा व्यापार को संवर्धित करना है।

निर्यात ऋण एजेंसियों का फोरम

एशियाई निर्यात ऋण एजेंसियों की 9 वीं वार्षिक बैठक एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय मनीला, फिलीपीन्स में अक्तूबर 2003 में संपन्न हुई थी। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, फिलीपीन्स, थाइलैंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक के सह-वित्तपोषण डिविजन, बैंकों, नैशनल दि कॉमार्सिओ, इक्सटिरियर, मेक्सिको और वित्त मंत्रालय, वियतनाम सरकार के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित थे।

वियतनाम अपना स्वयं का एक्ज़िम बैंक स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

एक सुव्यवस्थित तरीके से सूचना के विनिमय तथा विचारों के आदान-प्रदान के लिए एशियाई निर्यात ऋण एजेंसियों की वार्षिक बैठक के आयोजन की पहल मूलतः भारतीय एक्ज़िम बैंक द्वारा की गई थी जिसमें भारत में फरवरी 1996 में बंगलूर में तथा जून 1996 में मुंबई में पहली दो बैठकों का आयोजन भी किया था। तभी से यह अब एक वार्षिक आयोजन बन गया है, जिसका आयोजन बारी-बारी से एक निर्यात प्रापण एजेंसी द्वारा किया जाता है। पहली दो बैठकों के बाद पिछली वार्षिक बैठकें टोक्यो (1997), बीजिंग (1998), बाली (1999), बैंकॉक (2000), सिओल (2001) तथा कुआलालम्पूर (2002) में आयोजित की गई थी। 8 वीं वार्षिक बैठक में (स्वैच्छिक आधार पर) सहभागी संस्थाओं द्वारा बहुपक्षीय साख पत्र, पुष्टिकरण सुविधा करार पर हस्ताक्षर हो जाने के फलस्वरूप इस वर्ष (i) भारत व मलेशिया (ii) भारत व थाइलैंड (iii) मलेशिया व कोरिया द्वारा सुविधा करारों पर हस्ताक्षर के साथ द्विपक्षीय शाख पत्र पुष्टिकरण सुविधा व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस करार का उद्देश्य क्षेत्र के देशों के बीच मौज़ूदा व्यापार प्रवाहों को बढ़ावा देना है। इस धारणा को बल मिल रहा है कि यह करार 1997 के एशियाई वित्तीय संकट जैसे संकटों के समय अत्यधिक उपयोगी होगा और सदस्य देशों के बीच एक समन्वित नीति वित्तीय संकट के फैलाव को नियंत्रित करने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड, चेन्नई तथा प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा निर्माणाधीन 100 बिस्तरों वाले तीन सुपरस्पेशियालिटी अस्पतालों में से एक अस्पताल

VI संवर्धनात्मक कार्यक्रम

परामर्श सहायता कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम वाशिंग्टन, डी. सी. के तकनीकी सहायता कार्यक्रम तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अधीन बैंक ने विकासशील देशों के निजी क्षेत्र के लघु और मध्यम उद्यमों के लिए परामर्शी सेवायें प्रदान करने हेतु भारतीय परामर्शदाताओं का प्रायोजन करने और उनका आंशिक वित्तपोषण करने की व्यवस्था की है। चालू सुविधाओं में अफ्रीका, सी आइ एस, चीन तथा दक्षिण एशिया शामिल हैं।

यथा 31 मार्च 2004 को बैंक ने कृषि प्रसंस्करण, स्टोन वाशिंग, चमड़े के सामान, वित्तीय लेखा विधि, मोटर वाहन पुर्जे, रत्न एवं आभूषण, औषधीय, सॉफ्टवेयर, बिजली जैसे कई विशेषीकृत क्षेत्रों को शामिल करते हुए 28 देशों में भारतीय परामर्शदाताओं द्वारा 77 परामर्शी नियत कार्यों में समर्थन दिया है। वर्ष के दौरान कृषि, बागवानी, बैंक पुनर्गठन तथा पर्यावरण प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में परामर्शदाताओं का उपयोग किया गया।

भारतीय मशीन औज़ार उद्योग के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

बैंक संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) के सहयोग से लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ भारतीय मशीन औज़ार उद्योग के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेता है

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय मशीन औज़ार उद्योग को प्रमुख प्रौद्योगिकीय, विपणन तथा क्षमता निर्माण निविष्टियाँ प्रदान करना है ताकि इस उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त हो सके और यह इस क्षेत्र में छोटे तथा मध्यम आकार के उद्यमों के पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्यात को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाज़ार विकास और भारतीय मशीन औज़ार उद्योग के विकास के लिए क्षमता निर्माण हेतु कई कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। इस कार्यक्रम को यूनिडो द्वारा सफलता की गाथा के रूप में स्वीकार किया जा चुका है।

एक्ज़िमिअस ज्ञान केंद्र

समीक्षा वर्ष के दौरान एक्ज़िमिअस ज्ञान केन्द्र, बंगलूर ने तेईस कार्यक्रम आयोजित किये हैं। इन कार्यक्रमों में तीन देश विशिष्ट में व्यवसाय के अवसर विषयक सेमिनार थे जो चीन, जर्मनी तथा यू के के संबंध में थे। केन्द्र ने तेरह सेमिनार / कार्यशालायें आयोजित की : बौद्धिक संपदा मुद्दे : फार्मास्युटिकल, बायोटेक एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र; कायाकल्प रणनीतियाँ / विलयन / अधिग्रहण ; खाद्य उत्पादों के निर्यात हेतु गुणवत्ता मानदंड ; राज्यस्तरीय निर्यात संवर्धन संगठनों की क्षमताओं को बढ़ाना (नोएडा तथा बंगलूर में): भारत से वस्त्र निर्यात की रणनीति; अंतरराष्ट्रीय हर्बल उत्पाद एक्सपो 2003 एवं सेमिनार प्री-ट्रीटमेंट एण्ड फिनिशिंग ऑफ टेक्सटाइल्स एण्ड अपारल्स; आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के जरिए लागत कटौती तथा बाज़ार प्राप्त करना; अंतरराष्ट्रीय विपणन-बदलते परिप्रेक्ष्य; सूचना प्रौद्योगिकी विपणन रणनीतियाँ एवं उभरते अवसर; कार्पोरेट तथा बैंक ट्रेज़री के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन; निर्यात तथा प्रबंधन से संबंधित विधि और इंजीनियरी माल, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मशीन औज़ार की पैकेजिंग।

सी एफ टी आर आइ अनुसंधान परिषद की मैसूर में आयोजित बैठक में डॉ. एस स्वामीनाथन द्वारा एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन ''मार्केट मेकर'' का औपचारिक रूप से विमोचन किया गया। इस पुस्तक में सी एफ टी आर आइ प्रौद्योगिकी पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में परियोजना इतिवृत्त शामिल किये गये हैं। डॉ. वी प्रकाश, निदेशक सी एफ टी आर आइ भी इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। एक्ज़िम बैंक ने अपनी ऋण-व्यवस्था सुविधा के अंतर्गत अफ्रीका तथा सी आइ एस में लघु खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सी एफ टी आर आइ के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

केन्द्र ने मुंबई तथा हैदराबाद में विश्व बैंक के निधिक परियोजना में व्यवसाय अवसर और पुणे तथा नई दिल्ली में एशियाई विकास बैंक निधिक परियोजना में व्यवसाय अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये। एशियाई विकास बैंक और परामर्श विकास केन्द्र, नई दिल्ली के सहयोग से नई दिल्ली में देशी परामर्शी सेवाओं के विकास पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। भारत में चिरस्थायी विकास के वित्तपोषण हेतु रणनीति पर एक कार्यशाला मुंबई में आयोजित की गई। यह कार्यशाला एडफिएप और इनवेन्ट, जर्मनी की संघीय सरकार से सहायता प्राप्त एक एजेंसी के सहयोग से आयोजित की गई। सेंटर फॉर दि प्रमोशन ऑफ इम्पोटर्स फ्राम डिवेलपिंग कंट्रीज़ (सी बी आइ), नीदरलैण्ड के सहयोग से मुंबई में निर्यात के वित्तीय पहलू पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

व्यवसाय उत्कृष्टता का पुरस्कार

एक्ज़िम बैंक ने भारतीय उद्योग महासंघ के सहयोग से किसी भारतीय कंपनी द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम तकनीकी गुणवत्ता प्रबंधन (टी क्यू एम) कार्य-प्रणालियों के लिए व्यवसाय उत्कृष्टता का वार्षिक पुरस्कार प्रदान करना प्रारंभ किया है। यह पुरस्कार यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट अवार्ड के मॉडल पर आधारित है।

पिछले दशक के दौरान सिर्फ चार कंपनियों अर्थात हैलट पैकर्ड इंडिया लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, टिस्को तथा इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को यह अवार्ड मिला है। वर्ष 2003 में विदेशों में परिचालनरत भारतीय संयुक्त उद्यमों सहित कई कंपनियों ने इस अवार्ड प्रक्रिया में भाग लिया। यद्यपि कोई विजेता नहीं रहा, तीन कंपनियों अर्थात अलेक्झंडरिया कार्बन ब्लैक, मिस्र; भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तिरुचिरापल्ली और बिड़ला सेल्यूलॉसिक को व्यवसाय उत्कृष्टता के प्रति उनकी यात्रा में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जूरी द्वारा प्रशंसा की गई, जबकि उन्नीस कंपनियों की पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए सराहना की गई।

VII. सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने सूचना की बेहतर सहभागिता, यूजर इमपॉवरमेंट तथा सिस्टम इंटेलिजेंस क्षमताओं में वृद्धि के अपने प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज्ञान प्रबंधन टूल्स के उपयोग में वृद्धि की पहलों को करना जारी रखा है।

आयोजना एवं बजट; देश विश्लेषण; उद्योग विश्लेषण; जोखिम आकलन और विश्लेषण; बैंक के विविध कार्य क्षेत्रों से युक्त एक एकीकृत आँकड़ा, आधार सहित एक कोर सिस्टम जो डाटा वेयर हाउसिंग और संबंधित विश्लेषण में अग्रगामी है; व्यापार वित्त, राजकोष और आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विशेषीकृत पैकेजों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सिस्टम को सक्षम बनाया गया है तथा उनका कोटि उन्नयन किया गया है। इन क्षेत्रों के सिस्टम में रणनीतिक आयोजना, आंतरिक सेवा प्रदान करना, ग्राहक इंटरफेस और ऑनलाइन ट्रेकिंग शामिल हैं।

बैंक का पोर्टल (www.eximbankindia.com) भारतीय निर्यातकों के लिए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अभिरुचि रखनेवाले अन्य व्यक्तियों के लिए भी बैंक के विभिन्न उधार कार्यक्रमों और सूचना तथा सलाहकारी सेवाओं पर संबंधित सूचना उपलब्ध कराता है। इस पोर्टल का देशी तथा विदेशी ग्राहकों द्वारा लगातार उपयोग किया जा रहा है।

बैंक का कृषि पोर्टल (www.eximbankagro.com), एक आंतरिक सूचना प्रौद्योगिकी पहल ने निर्यात बाज़ार मूल्य प्रवृत्तियाँ, मौसम की जानकारी पर संबंधित जानकारी, जैव प्रौद्योगिकी, प्रमाणन, पेटेंट नीतियों, वृत्त अध्ययनों, बैंच मार्किंग तथा गुणवत्ता संबंधित जानकारी और बैंक की अन्य संबंधित गतिविधियों पर उत्पाद-वार सूचना तथा सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा। इसमें मॉडरेटेड मैसेज बोर्ड, बातचीत सुविधा तथा क्रय एवं विक्रय मंच की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।

पूँज लायड लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा इंडोनेशिया में निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन परियोजना। एक्ज़िम बैंक ने भारतीय कंपनी को गारंटियां तथा पूरक ऋण प्रदान किये हैं।

VIII. शोध एवं विश्लेषण

1989 में, बैंक ने 'अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार एवं विकास तथा संबद्ध वित्तपोषण' के क्षेत्र में शोध के लिए एक वार्षिक पुरस्कार प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य भारत और विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों तथा अकादमिक संस्थाओं में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार एवं विकास और संबद्ध वित्तपोषण में शोध को प्रोत्साहित करना है। इस पुरस्कार में एक लाख रुपये की राशि और एक प्रशस्तिपत्र शामिल है।

वर्ष 2003 के लिए यह अवार्ड डॉ. देव कुसुम दास, अर्थशास्त्र प्रख्याता, दिल्ली विश्वविद्यालय और श्री सी. विरामणी, फेलो, भारतीय अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आइ सी आर आइ इ आर), नई दिल्ली को प्रदान किया गया। यह अवार्ड उनके शोध प्रबंध क्रमशः ''सम आस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडॅक्टिविटी ग्रोथ एण्ड ट्रेड इन इंडियन इंडस्ट्री'' और ''इन्ट्रा इंडस्ट्री ट्रेड अंडर ईकोनॉमिक लिबरलाइजेशन : एन एनॅलिसिस ऑफ इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर'' के लिए दिया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने चार प्रासंगिक आलेख प्रकाशित किये हैं। इन आलेखों में निम्नलिखित विषय शामिल हैं: भारत से आर्गेनिक उत्पादों की निर्यात संभाव्यता : संभावनाएँ तथा चुनौतियाँ; भारतीय औषधीय पौधों तथा उत्पादों की निर्यात संभाव्यता; चुनिंदा दक्षिण अफ्रीकी देश : भारत के व्यापार तथा निवेश संभाव्यता का अध्ययन और बी आइ एम एस टी-ई सी पहल : चुनिंदा एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार तथा निवेश संभाव्यता का अध्ययन।

वर्ष के दौरान, बैंक ने तीन कार्यकारी पत्र भी प्रकाशित किये हैं जिनमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं : निर्यात में तीव्र उछाल के लिए रणनीति : अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा चीन पर विशेष ध्यान : भारतीय इस्पात की निर्यात संभाव्यता और भारतीय पटसन उद्योग की निर्यात संभाव्यता।

बैंक ने वर्ष के दौरान ''रोड बियांड बाउंड्रीज़ : दी केस ऑफ सिलेक्ट इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम'' और ''प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट : कनेक्टिंग कॉन्टिनेंटस विथ इंडियन एक्सपर्टीज़'' शीर्षकों से दो पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं।

शार्किया क्षेत्र, ओमान में ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, मुंबई द्वारा निष्पादित 132 किलोवॉट डबल सर्किट पारेषण लाइन तथा उप-स्टेशन। एक्ज़िम बैंक ने भारतीय कंपनी को गारंटियां तथा पूरक ऋण प्रदान किये हैं।

IX. मानव संसाधन प्रबंधन

31 मार्च 2004 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या 190 थी जिसमें ऐसे 134 व्यावसायिक कर्मचारी शामिल हैं जिनके अंतर्गत इंजीनियर, अर्थशास्त्री, बैंकर, सनदी लेखाकार, बिज़नेस स्कूल स्नातक, विधि और भाषा विशेषज्ञ, पुस्तकालय और प्रलेखन विशेषज्ञ, कार्मिक तथा कम्प्यूटर विशेषज्ञ आते हैं। इस व्यावसायिक दल की सहायता प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाती है। बैंक का यह उद्देश्य है कि वह अपने अधिकारियों के कौशलों का निरंतर उन्नयन करे। 2003-04 के दौरान 103 अधिकारियों ने बैंक के परिचालनों से संबद्ध विविध विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में औद्योगिक तथा परियोजना वित्त, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त, विदेशी मुद्रा तथा वित्तीय व्युत्पन्न और जोखिम प्रबंधन, दस्तावेज़ी ऋण, कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का वित्तपोषण, व्यवसाय में वृद्धि के लिए विपणन, एन पी ए प्रबंधन और वसूली ऋण-नीतियाँ, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन। कम्प्यूटर शिक्षण का उन्नयन, पुस्तकालयों में इंटरनेट का अनुप्रयोग, बातचीत कौशल, संगठन में मानव कौशल का प्रबंध करना गैर वित्त अधिकारियों के लिए वित्त, संप्रेषण तथा प्रस्तुतीकरण कौशल शामिल हैं।

X. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग की गति में तेज़ी लाने के बैंक के प्रयासों को विभिन्न प्राधिकरणों से मान्यता प्राप्त हुई है : (i) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित राज्य स्तरीय बैंकर समिति (राजभाषा), पुणे ने वर्ष 2002-03 में समस्त वित्तीय संस्थाओं में से इस बैंक के प्रधान कार्यालय के सराहनीय कार्य-निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। (ii) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई ने वर्ष 2002-03 में सभी वित्तीय संस्थाओं में बैंक के प्रधान कार्यालय के सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। (iii) क्षेत्र 'ग' में स्थित बैंक के कार्यालयों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में प्रथम घोषित किया गया और उन्हें वर्ष 2001-02 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक गवर्नर्स शील्ड से सम्मानित किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक गवर्नर्स शील्ड 2002-2003 के लिए बैंक के 'ग' क्षेत्र स्थित कार्यालयों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में तृतीय घोषित करते हुए शील्ड प्रदान की गई है। (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक की गृह पत्रिका 'एक्ज़िमिअस' को वर्ष 2002-03 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच अखिल भारतीय प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। (v) बैंक के कोलकाता कार्यालय ने बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोलकाता की ओर से वर्ष 2002-03 के दौरान हिन्दी के कार्यान्वयन के सर्वोत्तम निष्पादन के लिए श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है। (vi) राजभाषा एवं प्रबंधन विकास संस्था, नई दिल्ली ने बैंक के प्रभारी राजभाषा अधिकारी को बैंक में हिंदी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उनके द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य के लिए एक विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया है।

एक्ज़िम बैंक अपने परिचालनो में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सदैव अग्रिम पंक्ति में रहा है। बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के गर्वनर डॉ. वाइ वी रेड्डी के कर कमलों से क्षेत्र 'ग' में प्रथम पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को जारी रखा है। संसदीय राजभाषा समिति की साक्ष्य समिति ने दिसम्बर 2003 में बैंक के प्रधान कार्यालय में हिंदी के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

बैंक के अधिकारियों को हिंदी में टिप्पण और प्रारूप लेखन में प्रशिक्षण देने के प्रायोजन से चौबीस हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। बैंक के अधिकारियों को अपने दैनिक कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन प्रदान करने की एक योजना बैंक में लागू है। इस योजना के अंतर्गत तीन अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। राजभाषा नीति का अनुपालन और सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तथा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जाँच-बिंदु बनाये गये हैं।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के उपबंधों के अनुपालन में परिपत्र प्रेस-विज्ञप्तियाँ और रिपोर्टें हिंदी में भी में जारी की गई हैं। ऋण करारों का हिंदी में अनुवाद किया गया है। हिंदी में प्राप्त पत्रों

के उत्तर भी हिंदी में दिए गए हैं। बैंक के परिचालनों और क्रियाविधि संबंधी साहित्य के अतिरिक्त प्रासंगिक आलेख हिंदी में प्रकाशित किये गये हैं।

सरकार के निदेशों के अनुसरण में 01 सितम्बर, 2003 से प्रारंभ होनेवाला हिंदी पखवाड़ा मनाया गया है। इस आयोजन के एक हिस्से के रूप में प्रख्यात फिल्म कलाकार श्री रणजीत जी को अपने अनुभव सुनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। बैंक के त्रैमासिक प्रकाशन 'एक्ज़िमिअस : एक्सपोर्ट एडवांटेज़ का हिंदी रूपांतर 'एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया। बैंक के एक द्विमासिक प्रकाशन 'एग्री एक्सपोर्ट एडवांटेज़'' के सभी अंकों को भी हिंदी में 'कृषि निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया।

बैंक की गृह पत्रिका 'एक्ज़िमिअस' में हिंदी खंड होता है। वर्ष 2003-04 में एक्ज़िमिअस पत्रिका का विश्व हिंदी विशेषांक प्रकाशित किया गया।

हिंदी के प्रगामी प्रयोग विषयक सरकार की नीति के अनुसरण में और वर्ष 2003-04 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंक के पुस्तकालय को विदेश व्यापार, वाणिज्य, वित्त, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य विषयों के साथ-साथ शास्त्रीय विषयों तथा समसामयिक साहित्य से समृद्ध बनाया गया है। बैंक में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति की समीक्षा करने के प्रयोजन से प्रधान कार्यालय और अन्य कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें तिमाही अंतरालों में आयोजित की गई हैं।

XI. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च 2004 को बैंक की सेवा में कुल 190 कर्मचारियों में 21 अनुसूचित जाति, 15 अनुसूचित जनजाति और 21 अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी सदस्य हैं। बैंक ने इन कर्मचारी सदस्यों को कम्प्यूटरों और अन्य क्षेत्रों का प्रशिक्षण प्रदान किया है। बैंक ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली और भारतीदासन प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली के अनुसूचित जाति और जन जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना जारी रखा है।

एक्ज़िम बैंक को अलमाटी, कज़ाकिस्तान में आयोजित एडफिएप की 27 वीं वार्षिक बैठक के दौरान श्री ओरलेंडो पेना, महासचिव, ए डी एफ आइ पी की उपस्थिति में राजदूत जेसेस पी. टैमबटिंग, अध्यक्ष एडफिएप निदेशक मंडल के कर कमलों से एएडफिएप के ''व्यापार विकास पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया।

तुलन-पत्र
यथा 31 मार्च, 2004 को
एवं
2003-04 का
लाभ और हानि लेखा

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार को 470 मिलियन रुपये का लाभांश अदा किया। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन जी से चेक प्राप्त करते हुए।

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2004 को

देयताएँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2004 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2003 को) रुपये
1.	पूँजी	I	6,499,918,881	6,499,918,881
2.	आरक्षित निधियाँ	II	14,933,014,180	13,170,904,893
3.	लाभ और हानि लेखा	III	470,000,000	450,000,000
4.	नोट, बाँड एवं डिबेंचर		76,700,580,430	64,902,091,020
5.	देय बिल		–	–
6.	जमा राशियाँ	IV	20,922,102,710	9,120,755,855
7.	उधार राशियाँ	V	21,582,667,243	16,466,863,518
8.	चालू देयताएँ एवं प्रावधान		13,397,276,241	11,830,612,186
9.	अन्य देयताएँ		685,973,868	747,888,165
10.	संभावित ऋण हानियों के लिए आरक्षित निधि		–	–
	योग		155,191,533,553	123,189,034,518

आकस्मिक देयताएँ

		इस वर्ष	गत वर्ष
(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	15,768,884,000	16,132,906,000
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर	–	–
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	–
(iv)	अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	13,115,250	14,245,500
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	3,318,800,000	3,318,800,000
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाणपत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	–	–
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से ज़िम्मेदार है	628,113,000	313,540,000
	योग	19,728,912,250	19,779,491,500

सामान्य निधि

आस्तियाँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2004 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2003 को) रुपये
1.	नकदी एवं बैंक शेष	VI	25,765,892,040	12,704,535,257
2.	निवेश	VII	14,573,307,311	16,410,790,311
3.	ऋण एवं अग्रिम	VIII	106,377,895,564	86,886,380,899
4.	खरीदे गये, भुनाये गये, पुनः भुनाये गये बिल	IX	1,373,200,000	850,000,000
5.	अचल आस्तियाँ	X	630,063,739	503,045,243
6.	अन्य आस्तियाँ	XI	6,471,174,899	5,834,282,808
7.	लाभ और हानि लेखा		–	–
	योग		155,191,533,553	123,189,034,518

टिप्पणी : 1. नकदी एवं बैंक शेष में, बैंकों के पास सावधि जमा राशियाँ शामिल हैं।
2. जहाँ कहीं आवश्यक था, पिछले आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है।

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

ए. के. पुरवार **पी. एम. ए. हकीम** **आर. वी. शास्त्री**
एस. सी. बसु **डॉ. पुलिन नायक** **डॉ. विनयशील गौतम**
डॉ. एस. चन्द्रा **डॉ. बुद्धाजीराव आर. मुलिक**

निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

मुम्बई
दिनांक : 24 अप्रैल, 2004

जी. पी. घोष
साझेदार

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
1.	ब्याज	6,207,029,718	4,903,108,855
2.	ऋण बीमा (गारंटी फीस सहित)	40,860,747	40,072,044
3.	स्टाफ़ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ	68,370,966	67,367,098
4.	निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फ़ीस तथा व्यय	788,256	481,358
5.	लेखा परीक्षा की फ़ीस	455,000	250,000
6.	भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमियम	45,698,324	56,414,160
7.	डाक व्यय, तार और टेलेक्स	14,905,754	13,557,562
8.	विधि विषयक व्यय	24,533,942	5,894,501
9.	अन्य व्यय	190,065,297	163,553,566
10.	मूल्यह्रास	87,361,078	58,813,885
11.	संभावित ऋण हानियों के लिए आरक्षित राशि में अंतरित	–	–
12.	तुलन-पत्र को ले जाया गया लाभ	3,042,328,037	2,686,032,647
	योग	9,722,397,119	7,995,545,676
	आय कर के लिए प्रावधान	750,000,000	620,000,000
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ	2,292,328,037	2,066,032,647
		3,042,328,037	2,686,032,647

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक के यथा 31 मार्च 2004 को सामान्य निधि के तुलन-पत्र का तथा उससे संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की सामान्य निधि के लाभ और हानि लेखा का भी लेखा परीक्षण किया है और हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि :

1. हमने अपनी श्रेष्ठतम जानकारी और विश्वास के अनुरूप अपने लेखा परीक्षण के उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये और उन्हें संतोषजनक पाया है।
2. हमारी राय में, तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप समुचित रूप से तैयार किए गए हैं।
3. हमारी राय में तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त तुलन-पत्र एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरणों का समावेश है और जिसे यथा 31 मार्च 2004 को बैंक की सामान्य निधि के क्रियाकलापों को सत्य एवं समुचित रूप से प्रदर्शित करने हेतु यथा विधि तैयार किया गया है।

कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

मुम्बई
दिनांक : 24 अप्रैल, 2004

जी. पी. घोष
साझेदार

सामान्य निधि

आय

	इस वर्ष रुपये	गत वर्ष रुपये
(वर्ष के दौरान अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किये गये प्रावधानों तथा अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधानों को घटाकर)		
1. ब्याज और बट्टा	8,642,148,342	7,216,816,585
2. विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस	462,904,068	603,219,590
3. अन्य आय	617,344,709	175,509,501
4. तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि	–	–
योग	9,722,397,119	7,995,545,676
लाभ, नीचे लाया गया	3,042,328,037	2,686,032,647
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज-कर प्रावधान का प्रतिलेखन	–	–
	3,042,328,037	2,686,032,647

टिप्पणी : 1. आय में, खज़ाना परिचालनों, निवेशों तथा बैंक जमा राशियों के कारण प्राप्त 3.26 बिलियन रुपये (गत वर्ष 2.22 बिलियन रुपये) शामिल हैं।
2. जहाँ कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है।

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

ए. के पुरवार **पी. एम. ए. हकीम** **आर. वी. शास्त्री**
एस. सी. बसु **डॉ. पुलिन नायक** **डॉ. विनयशील गौतम**
डॉ. एस. चन्द्रा **डॉ. बुद्धाजीराव आर. मुलिक**

निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

मुम्बई
दिनांक : 24 अप्रैल, 2004

जी. पी. घोष
साझेदार

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

यथा 31 मार्च, 2004 को

		इस वर्ष (यथा 31.03.2004 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2003 को)
		रुपये	रुपये
अनुसूची I :	**पूँजी :**		
	1. प्राधिकृत	10,000,000,000	10,000,000,000
	2. निर्गमित एवं प्रदत्त : (केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	6,499,918,881	6,499,918,881
अनुसूची II :	**आरक्षित :**		
	1. आरक्षित निधि	11,091,323,616	10,189,214,329
	2. सामान्य आरक्षित राशियाँ	–	–
	3. अन्य आरक्षित राशियाँ :		
	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि	561,371,500	251,371,500
	ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाएँ)	620,319,064	470,319,064
	4. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	2,660,000,000	2,260,000,000
		14,933,014,180	13,170,904,893
अनुसूची III :	**लाभ और हानि लेखा :**		
	1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखा के अनुसार शेष	2,292,328,037	2,066,032,647
	2. घटाकर : विनियोजन :		
	- आरक्षित निधि को अंतरित	902,109,287	721,232,647
	- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित	310,000,000	250,000,000
	- ऋण शोधन निधि को अंतरित	150,000,000	37,100,000
	- आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	400,000,000	550,000,000
	- लाभांश के जरिये वितरित लाभ पर कर के प्रावधान	60,218,750	57,700,000
	3. निवल लाभ का शेष (एक्ज़िम बैंक अधिनियम 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अंतरणीय)	470,000,000	450,000,000
अनुसूची IV :	**जमा राशियाँ :**		
	(क) भारत में	20,922,102,710	9,120,755,855
	(ख) भारत के बाहर	–	–
		20,922,102,710	9,120,755,855
अनुसूची V :	**उधार राशियाँ :**		
	1. भारतीय रिज़र्व बैंक से :		
	(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	–	–
	(ख) विनिमय बिलों पर	–	–
	2. भारत सरकार से	93,333,336	107,666,669
	3. अन्य स्रोतों से		
	(क) भारत में	2,874,350,000	1,661,975,000
	(ख) भारत के बाहर	18,614,983,907	14,697,221,849
		21,582,667,243	16,466,863,518
अनुसूची VI :	**नकदी एवं बैंक में शेष :**		
	1. हाथ में नकदी	91,536	75,114
	2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	221,816	2,760,837
	3. अन्य बैंकों में शेष :		
	(क) भारत में	23,805,277,660	9,565,868,999
	(ख) भारत के बाहर	1,860,301,028	3,035,830,307
	4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि	100,000,000	100,000,000
		25,765,892,040	12,704,535,257

सामान्य निधि

		इस वर्ष (यथा 31.03.2004 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2003 को)
अनुसूची VII :	**निवेश :**	रुपये	रुपये
	1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	3,219,530,328	5,726,400,328
	2. ईक्विटी शेयर और स्टॉक	1,042,969,983	1,072,405,883
	3. अधिमान शेयर एवं स्टॉक	130,257,000	13,187,000
	4. नोट, डिबेंचर एवं बाँड	3,518,050,000	3,696,497,100
	5. अन्य	6,662,500,000	5,902,300,000
		14,573,307,311	16,410,790,311
अनुसूची VIII:	**ऋण एवं अग्रिम :**		
	1. विदेशी सरकारें	180,331,539	180,331,539
	2. बैंक :		
	(क) भारत में	19,576,946,720	15,846,759,657
	(ख) भारत के बाहर	1,509,114,036	280,180,979
	3. वित्तीय संस्थाएं :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	1,137,066,973	1,407,354,385
	4. अन्य	83,974,436,296	69,171,754,339
		106,377,895,564	86,886,380,899
अनुसूची IX :	**खरीदे गये, भुनाये गये तथा पुनः भुनाये गये बिल :**		
	(क) भारत में	1,373,200,000	850,000,000
	(ख) भारत के बाहर	–	–
		1,373,200,000	850,000,000
अनुसूची X :	**अचल आस्तियाँ :** (लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)		
	1. परिसर	576,624,273	428,143,085
	2. अन्य	53,439,466	74,902,158
		630,063,739	503,045,243
अनुसूची XI :	**अन्य आस्तियाँ :**		
	1. निवेशों तथा ऋणों पर उपचित ब्याज़	1,403,885,507	1,423,661,569
	2. पूर्व प्रदत्त बीमा किस्त-भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. को प्रदत्त	3,714,666	1,170,503
	3. विविध पक्षों के पास निक्षेप	21,554,010	21,514,783
	4. अन्य	5,042,020,716	4,387,935,953
		6,471,174,899	5,834,282,808

टिप्पणी : जहाँ कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्समूहित किया है।

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2004 को

देयताएँ

	इस वर्ष (यथा 31.03.2004 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2003 को)
	रुपये	रुपये
1. ऋण :		
(क) सरकार से	–	–
(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
2. अनुदान :		
(क) सरकार से	128,307,787	128,307,787
(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
3. उपहार, दान, उपकृतियाँ :		
(क) सरकार से	–	–
(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
4. अन्य देयताएँ	40,756,318	35,751,693
5. लाभ और हानि लेखा	160,173,785	145,489,880
योग	329,237,890	309,549,360

आकस्मिक देयताएँ

(i) स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		
(ii) वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर	–	–
(iii) हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	–
(iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	–	–
(v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	–	–
(vi) संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii) सहभागिता प्रमाणपत्रों पर	–	–
(viii) भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	–	–
(ix) अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से ज़िम्मेदार है	–	–

टिप्पणी : एक्ज़िम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 37 (जो अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि निर्यात संवर्धन विकास निधि की कोई भी आय, लाभ अथवा उसमें प्रोद्भूत होनेवाले अभिलाभ अथवा इस निधि में जमा किये जाने के लिए प्राप्त राशि पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा), का वित्त (संख्या 2) अधिनियम 1998 द्वारा 1 अप्रैल 1999 से लोप किया गया है। एक्ज़िम बैंक को यह सूचित किया गया है कि, उक्त धारा चूँकि 31 मार्च 1999 तक प्रभावी थी अतः यह छूट, लेखा वर्ष 1998-99 की समाप्ति तक निधि को प्रोद्भूत अथवा उद्भूत आय के संबंध में उपलब्ध रहेगी। आयकर प्राधिकारियों ने कर निर्धारण आदेश भी पास किया था और एक्ज़िम बैंक ने इस मामले में अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त वर्ष के लिए 6.62 मिलियन रुपये के कर की अदायगी भी कर दी थी। बैंक निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए अदा किये गये कर की वापसी के लिए अनुवर्तन कर रहा है।

निर्यात संवर्धन निधि

आस्तियाँ

			इस वर्ष (यथा 31.03.2004 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2003 को)
			रुपये	रुपये
1.	बैंक शेष		287,091,332	271,192,125
2.	निवेश		–	–
3.	ऋण एवं अग्रिम :			
	(क)	भारत में	–	–
	(ख)	भारत के बाहर	8,505,318	8,505,318
4.	खरीदे गये / भुनाये गये बिल :			
	(क)	भारत में	–	–
	(ख)	भारत के बाहर	–	–
5.	अन्य आस्तियाँ		33,641,240	29,851,917
6.	लाभ और हानि लेखा		–	–
		योग	329,237,890	309,549,360

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

ए. के पुरवार **पी. एम. ए. हकीम** **आर. वी. शास्त्री**

एस. सी. बसु **डॉ. पुलिन नायक** **डॉ. विनयशील गौतम**

डॉ. एस. चन्द्रा **डॉ. बुद्धाजीराव आर. मुलिक**

निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

जी. पी. घोष
साझेदार

मुम्बई
दिनांक : 24 अप्रैल, 2004

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
1.	ब्याज	–	–
2.	अन्य व्यय	–	–
3.	तुलन-पत्र को ले जाया गया लाभ	20,948,905	22,650,078
	योग	20,948,905	22,650,078
	आय कर के लिए प्रावधान	6,265,000	7,108,000
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ	14,683,905	15,542,078
	योग	20,948,905	22,650,078

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक की निर्यात संवर्धन निधि के यथा 31 मार्च 2004 के तुलन-पत्र का तथा उससे संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की निर्यात संवर्धन निधि के लाभ और हानि लेखे का भी लेखा परीक्षण किया है और हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि :

1. हमने अपनी श्रेष्ठतम जानकारी और विश्वास के अनुरूप अपने लेखा परीक्षण के उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये और उन्हें संतोषजनक पाया है।

2. हमारी राय में, तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप समुचित रूप से तैयार किए गए हैं।

3. हमारी राय में तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त तुलन-पत्र एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरणों का समावेश है और जिसे यथा 31 मार्च 2004 को बैंक की निर्यात संवर्धन निधि के क्रियाकलापों को सत्य एवं समुचित रूप से प्रदर्शित करने हेतु यथा विधि तैयार किया गया है।

कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

मुम्बई
दिनांक : 24 अप्रैल, 2004

जी. पी. घोष
साझेदार

निर्यात संवर्धन निधि

आय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
	(वर्ष के दौरान अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किये गये प्रावधानों तथा अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधानों को घटाकर)		
1.	ब्याज और बट्टा	20,948,905	22,650,078
2.	विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस	–	–
3.	अन्य आय	–	–
4.	तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि	–	–
	योग	20,948,905	22,650,078
	लाभ , नीचे लाया गया	20,948,905	22,650,078
	पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज कर प्रावधान का प्रतिलेखन	–	–
	योग	20,948,905	22,650,078

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

ए. के पुरवार **पी. एम. ए. हकीम** **आर. वी. शास्त्री**
एस. सी. बसु **डॉ. पुलिन नायक** **डॉ. विनयशील गौतम**
डॉ. एस. चन्द्रा **डॉ. बुद्धाजीराव आर. मुलिक**

निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

मुम्बई
दिनांक : 24 अप्रैल, 2004

जी. पी. घोष
साझेदार

लेखों की टिप्पणियाँ - सामान्य निधि

1. चूँकि एक्ज़िम बैंक भारतीय संविदाकारों से संबंधित कतिपय सौदों को इराक में सुगम बनाने के लिए केवल एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है अतएव भारत सरकार को समनुदेशित 27, 150, 380, 734 रुपये की राशि सहित बैंक को सूचित की गई एजेंसी खाते में धारित 30,046,495,410 रुपये (पिछले वर्ष 32,635,851,422 रुपये) की समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियाँ उपर्युक्त तुलन-पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. एक्ज़िम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 37 (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित था कि एक्ज़िम बैंक द्वारा व्युत्पन्न किसी भी लाभ अथवा अभिलाभ अथवा प्राप्त की गई किसी राशि पर कर नहीं लगाया जाएगा), 1 अप्रैल, 1999 से वित्त (सं.2) अधिनियम, 1998 द्वारा निकाल दी गई है। एक्ज़िम बैंक को सूचित किया गया था कि चूँकि उक्त धारा 31 मार्च, 1999 तक लागू थी, अतएव लेखा वर्ष 1998-99 के अंत तक उपचित होनेवाली अथवा उत्पन्न होनेवाली आय के लिए छूट उपलब्ध होगी। तथापि एक्ज़िम बैंक ने कराधान के लिए प्रावधान किया था तथा आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि का निर्माण कर लिया था तथा उसने इस मामले में अपने अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त वर्ष के 792.2 मिलियन रुपये कर तथा 62.5 मिलियन रुपये ब्याज-कर की अदायगी भी कर दी थी। बैंक कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए अदा किये गये कर की वापसी के मामले का अनुवर्तन कर रहा है। बैंक ने निर्धारण वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए आयकर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग के प्रति आंशिक भुगतान भी किया है और अदा किये गये कर की वापसी के लिए कार्रवाई की जा रही है. निर्धारण वर्ष 1990-00 तथा 2000-01 के लिए भी ब्याज-कर की मांग अपील में है। सलाहकार की सलाह के अनुसार कराधान के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।

3. ''बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया'' के रूप में आकस्मिक देयताओं के अन्तर्गत दिखाई गई 3.32 बिलियन रुपये की राशि बैंक के चूककर्ता द्वारा बैंक के विरुद्ध किये गये दावों/प्रति-दावों से संबंधित हैं जो बैंक द्वारा उनके विरुद्ध शुरू की गई विधिक कार्रवाई के कारण हैं। बैंक के सॉलिसिटरों की राय में कोई भी दावा/प्रति-दावा चलाने -योग्य नहीं है। कोई भी मामला अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है। व्यावसायिक सलाह के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।

4. यथा 31 मार्च 2004 को बकाया वायदा संविदाओं की राशि 2025.8 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 63.5 मिलियन रुपये) थी और इनकी पूरी तरह से बचाव-व्यवस्था कर ली गई है।

5. यथा 31 मार्च 2004 को पूँजी

(क)

(i)	जोखिम आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सी आर ए आर)	23.48%
(ii)	जोखिम आस्तियों की तुलना में प्रमुख पूंजी अनुपात	22.19%
(iii)	जोखिम आस्तियों की तुलना में अनुपूरक पूंजी अनुपात	1.29%

(ख) 'वचन-पत्र, बांड और डिबेंचर' में 8% 2022 बांड शामिल हैं जिसमें सरकार ने 5.59 बिलियन रुपये का अभिदान किया है। ये बांड अप्रतिभूत हैं और बैंक द्वारा प्रदान की गई सभी उधार राशियों/जमाओं/गौण ऋणों के मुकाबले में गौण हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक/सरकार द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों के अधीन ये बैंक की टीयर-I पूंजी के लिए पात्र हैं।

(ग) 31 मार्च 2004 को टीयर - II पूँजी के रूप में जुटाये गये और बकाया गौण ऋण की राशि : कुछ नहीं

(घ) जोखिम भारित आस्तियाँ -

(i) तुलन-पत्र 'की' मदें : 99.19 बिलियन रुपये

(ii) तुलन-पत्र में 'शामिल नहीं की गईं' मदें : 11.99 बिलियन रुपये

(ङ) तुलन-पत्र की तारीख को शेयरधारिता का स्वरूप : भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त।

- *जोखिम आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात और अन्य मानदंडों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार किया गया है।*

6. यथा 31 मार्च 2004 को आस्ति-गुणवत्ता और ऋण-संकेन्द्रण

(क) निवल ऋणों और अग्रिमों की तुलना में अनुपयोज्य आस्तियों की प्रतिशतता : 1.26 (गत वर्ष 2.25)

(ख) निर्धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों के अंतर्गत निवल अनुपयोज्य-आस्तियों की राशि और प्रतिशतता :

	राशि (बिलियन रुपये)	प्रतिशतता
अवमानक आस्तियाँ	0.76	0.74
संदिग्ध आस्तियाँ	0.53	0.52
हानि आस्तियाँ	–	–
	1.29	1.26

(ग) वर्ष के दौरान निम्नलिखित मदों के लिए किये गये प्रावधान :

	राशि (बिलियन रुपये)
मानक आस्तियाँ	0.38
अनुपयोज्य आस्तियाँ	0.43
निवेश (जो अग्रिम के स्वरूप को छोड़कर अन्य स्वरूप के हैं)	0.04
आय-कर	0.75

(घ) निवल अनुपयोज्य-आस्तियों में घट-बढ़ :

	राशि (बिलियन रुपये)
यथा 1 अप्रैल, 2003 को निवल अनुपयोज्य-आस्तियाँ	1.84
2003-04 के दौरान नई अनुपयोज्य आस्तियाँ	0.20
2003-04 के दौरान वसूलियाँ/कोटि उन्नयन	0.75
यथा 31 मार्च 2004 को निवल अनुपयोज्य-आस्तियाँ	1.29

(ङ) अनुपयोज्य-आस्तियों (जिसमें ऋण, बांड और अग्रिम के रूप में डिबेंचर और अंतर - कंपनी जमा राशियाँ शामिल हैं) के लिए प्रावधान
(मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)

	राशि (बिलियन रुपये)
वित्तीय वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	6.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.43
घटाएं : अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे खाते डालना/पुनरांकन	0.43
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	6.00

(च) निवेशों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान :

	राशि (बिलियन रुपये)
वित्तीय वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	0.14
जोड़ें :	
i. वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	0.04
ii. वर्ष के दौरान निवेश घट-बढ़ आरक्षित लेखे से विनियोग, यदि कोई है	कुछ नहीं
घटाएं :	
i. वर्ष के दौरान बट्टा खाता	कुछ नहीं
ii. निवेश घट-बढ़ आरक्षित लेखे में अंतरण, यदि कोई है	कुछ नहीं
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	0.18

(छ) यथा 31 मार्च, 2004 को पुनर्संरचित मानक आस्तियाँ : 1.41 बिलियन रुपये (गत वर्ष 3.93 बिलियन रुपये)।

(ज) यथा 31 मार्च 2004 की पुनर्संरचित अवमानक आस्तियाँ : 0.16 बिलियन रुपये (गत वर्ष 0.05 बिलियन रुपये)।

(झ) वर्ष के दौरान की गई कंपनी ऋण पुनर्संरचना :

	राशि (बिलियन रुपये)
(क) कंपनी ऋण पुनर्संरचना के अधीन पुनर्संरचित ऋण-आस्तियों की कुल राशि (क = ख + ग + घ)	2.81
(ख) कंपनी ऋण पुनर्संरचना के अधीन पुनर्संरचित मानक आस्तियों की राशि	2.43
(ग) कंपनी ऋण पुनर्संरचना के अधीन पुनर्संरचित अवमानक आस्तियों की राशि	कुछ नहीं
(घ) कंपनी ऋण पुनर्संरचना के अधीन पुनर्संरचित संदिग्ध आस्तियों की राशि	0.38

(ङ) ऋण सहायता :

	पूँजी निधियों * की तुलना में प्रतिशत	कुल ऋण सहायता के रूप में प्रतिशत (टी सी ई) @
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	13.69	1.93
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	25.36	3.57
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	101.80	14.33
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	130.12	18.32

* यथा 31 मार्च 2003 को पूँजी निधियाँ

@ टी सी ई : ऋण + अग्रिम राशियां + अप्रयुक्त मंजूरियां + बकाया गारंटियाँ।

बैंकों और समुद्रपारीय संस्थाओं को प्रदान किये गये ऐसे ऋण, जिनकी गारंटी सरकार ने दी है, उन पर एकल/समूह उधारकर्ता के रूप में विचार नहीं किया गया है।

(ट) पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण सहायता :

क्षेत्र	कुल ऋण सहायता के रूप में प्रतिशत (टी सी ई)
i) वस्त्र और परिधान	11.57
ii) निर्माण	8.58
iii) औषध और औषधियाँ	7.99
iv) इंजीनियरी माल	7.93
v) धातु और धातु प्रसंस्करण	7.50

- *"ऋण सहायता" की गणना 28 जून 1997 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी ओ एस. एफ आइ डी. सं. 17/01.02.00/96-97 में और उसके बाद में परिभाषित अनुसार की गई है।*

  बैंकों को पुनर्वित्त और समुद्रपारीय संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएँ / क्रेता ऋण को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

7. चलनिधि :

(क) रुपया-आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप; और

(ख) विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता-स्वरूप।

(बिलियन रुपये में)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक 7 वर्षों तक	7 वर्षों से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	41.99	32.65	38.12	16.68	23.34	152.78
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	29.24	13.82	13.10	5.66	4.45	66.27
कुल आस्तियाँ	71.23	46.47	51.22	22.34	27.79	219.05
रुपया देयताएं	39.66	22.11	25.57	11.60	52.88	151.82
विदेशी मुद्रा देयताएं	21.21	2.76	20.07	8.00	13.40	65.44
कुल देयताएं	60.87	24.87	45.64	19.60	66.28	217.26

- *आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता स्वरूप के लिए आस्तियों और देयताओं की विभिन्न मदों का समूहन आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित तारीख 31 दिसम्बर 1999 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस. एफ आइ डी. सं. सी-11/01.02.00/1999-2000 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्दिष्ट समय-समूहों में किया गया है।*

8. परिचालनगत परिणाम :

(क) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय : 6.41 (पिछले वर्ष 8.01)

(ख) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय : 0.78 (पिछले वर्ष 0.79)

(ग) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन-लाभ : 2.39 (पिछले वर्ष 3.39)

(घ) औसत आस्तियों पर प्रतिफल : 1.65% (पिछले वर्ष 2.11%)

(ङ) प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ : 12.1 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 12.4 मिलियन रुपये)

- *परिचालनगत-परिणामों के लिए कार्यशील निधियों और कुल आस्तियों को पिछले लेखा वर्ष के अंत, अनुवर्ती छमाही के अंत तथा रिपोर्टाधीन लेखा वर्ष के आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है। (''कार्यशील निधियों'' का उल्लेख कुल आस्तियों के लिए किया गया है)।*
- *प्रति कर्मचारी निवल लाभ का हिसाब लगाने के लिए सभी संवर्गों के समस्त स्थायी और पूर्णकालिक कर्मचारियों को गिना गया है।*

9. 7 जुलाई, 1999 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों की शर्तों के अनुसार वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप :

1.	बकाया लेन-देनों की संख्या	24
2.	कल्पित कुल मूलधन बकाया राशि	8.53 बिलियन रुपये
3.	स्वैप का स्वरूप	बचाव प्रयोजन/देयता प्रबंधन के लिए सभी लेन-देन ''स्थिर/अस्थिर'' अथवा ''अस्थिर/नियत'' स्वरूप के हैं जो भारत सरकार की प्रतिभूति पर प्रतिलाभ/लाइबोर जैसे बाज़ार आधार दर (बेंचमार्क) पर आधारित हैं।
4.	अवधि	लेन-देन 3 और 15 वर्षों की अवधियों के लिए हैं।
5.	प्रतिपक्षों द्वारा अपना दायित्व पूरा करने में असफल रहने के मामले में होनेवाली हानि	40 मिलियन रुपये
6.	अपेक्षित संपार्श्विक	–
7.	स्वैप के कारण होनेवाले ऋण-जोखिम का संकेन्द्रण	सभी लेन-देन निर्धारित ऋण-सीमा के अन्दर हैं।
8.	स्वैप बही का उचित मूल्य	270 मिलियन रुपये

10. किये गये निवेशों के संबंध में निर्गमकर्ता श्रेणियां (यथा 31 मार्च 2004 को)

(बिलियन रुपये)

क्र. सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निम्नलिखित की राशि			
			निजी नियोजन के माध्यम से किये गये निवेश	निवेश कोटि से कम स्तर की धारित प्रतिभूतियां	धारित 'दर-निर्धारित न की गई' प्रतिभूतियां	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	3.54	3.49	—	3.54	3.54*
2	वित्तीय संस्थाएं	0.49	—	—	0.49	0.24
3	बैंक	0.01	—	—	0.01	0.01
4	निजी कंपनियां	0.49	0.06	—	0.49	—
5	सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम	0.16	—	—	0.16	0.16
6	अन्य	6.66	—	—	6.66	0.21
7	# मूल्य में कमी के लिए धारित प्रावधान	0.17	—	—	—	—
	कुल	11.35	3.55	—	11.35	4.16*

सिर्फ धारित किये गये प्रावधान की कुल राशि को कॉलम 3 में प्रकट किया जाए।

* जिसमें से 3.49 बिलियन रुपये की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से किये गये यू एस डॉलर/भारतीय रुपये के स्वैप के जरिए थी।

ऊपर कॉलम 4, 5, 6 तथा 7 के अंतर्गत सूचित राशियां परस्पर अनन्य नहीं हैं।

11. अनुपयोज्य निवेश

(बिलियन रुपये)

विवरण	राशि
प्रारंभिक जमा शेष	0.10
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.04
वर्ष के दौरान कटौतियां	-
अंत शेष	0.14
धारित कुल प्रावधान	0.10

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

ए. के. पुरवार
एस. सी. बसु
डॉ. एस. चन्द्रा

पी. एम. ए. हकीम
डॉ. पुलिन नायक

आर. वी. शास्त्री
डॉ. विनयशील गौतम
डॉ. बुद्धाजीराव आर. मुलिक

निदेशक

सम दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

मुम्बई
दिनांक : 24 अप्रैल, 2004

जी. पी. घोष
साझेदार

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

(i) **वित्तीय विवरण**

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, भारत में व्यवहृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किये गये हैं तथा ये सामान्यत: अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों के भी समनुरूप हैं। एक्ज़िम बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 में दिए गए रूप में तथा ढंग से तैयार किये गये हैं, जिसे भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भा.रि. बैंक के परिपत्र डी बी एस. एफ आइ डी सं. सी. 18/01.02.00/2000-01, दिनांकित 23 मार्च 2001 और उसके बाद में अपेक्षित अनुसार कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात/आंकड़े "लेखों की टिप्पणियाँ" के खंड के रूप में दर्शायी गयी हैं।

(ii) **राजस्व निर्धारण**

(क) दंड स्वरूप ब्याज और वचनबद्धता प्रभार, जिन्हें नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर आय /व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। एक्ज़िम बैंक के बांडों पर दिये जानेवाले बट्टा / मोचन प्रीमियम को बांड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और उसे ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

(ख) ब्याज और बट्टे का उल्लेख सकल ब्याज में अनुपयोज्य आस्तियों पर ब्याज घटाकर किया गया है। अनुपयोज्य आस्तियों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

(iii) **आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण**

तुलन-पत्र में दर्शाए गए ऋण और अग्रिम राशियों में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा निपटाये गये दावों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियाँ शामिल हैं। प्राप्त होनेवाले ब्याज को "अन्य आस्तियों" में समूहित किया गया है।

देय राशियों की वसूली के लिए ऋण कमज़ोरियों की सीमा तथा संपार्श्विक प्रतिभूति पर निर्भरता के आधार पर ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है : मानक आस्तियाँ, अवमानक आस्तियाँ, संदिग्ध आस्तियाँ और हानि आस्तियाँ। निधिक सुविधाओं के लिए किए गए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(iv) **निवेश**

संपूर्ण निवेश-संविभाग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

(क) "परिपक्वता तक धारित" (परिपक्वता तक धारित करने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियाँ),

(ख) "क्रय-विक्रय के लिए धारित" (प्रतिभूतियाँ इस इरादे से अर्जित की जाती हैं कि अल्पावधि मूल्य / ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय-विक्रय किया जाए और)

(ग) "बिक्री के लिए उपलब्ध" (शेष निवेश)।

निवेशों का निम्नलिखित रूप में और अधिक वर्गीकरण किया गया है
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ,
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
(iii) शेयर
(iv) डिबेंचर और बांड
(v) सहायक कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों में निवेश और (vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक पत्र, पारस्परिक निधियों की यूनिट आदि)

निवेशों की विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन और निवेशों का मूल्य निर्धारण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किये गये 9 नवम्बर, 2000 के उसके परिपत्र के अनुसार निर्धारित किये गये मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

(v) **अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास**

(क) अचल आस्तियों को संचयी मूल्यह्रास घटाकर मूल लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर स्वामित्व वाली इमारतों के लिए बीस वर्षों की अवधि में तथा अन्य आस्तियों के लिए चार वर्षों की अवधि में किया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास, खरीद वर्ष में, समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के बारे में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

(घ) जहाँ किसी अवक्षयी आस्ति को निपटा दिया गया है, त्याग दिया गया है, गिरा दिया गया या नष्ट कर दिया है, ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को राजस्व लेखे में समायोजित कर लिया गया है।

(vi) **विदेशी मुद्रा लेन देनों के लिए लेखांकन**

(क) बैंक की विदेशी मुद्रा देयताओं और विदेशी मुद्रा आस्तियों को अनुपयोज्य आस्तियों के मामले को छोड़कर (भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार) बैंक के तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित बाज़ार विनिमय दर में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) बैंक के विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों से संबंधित आस्तियों और देयताओं का रूपान्तरण तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया गया है। उनकी आय और व्यय का रूपांतरण विप्रेषण की औसत विनिमय दर पर किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के रूपांतरण के फलस्वरूप यदि कोई विनिमय अंतर आता है तो उसे विनिमय-दर घट-बढ़ आरक्षित निधि के नामे / जमा किया जाता है, सिवाय इसके कि जब यह अंतर मुद्रा की मध्यावधि / दीर्घावधि अदला-बदली के कारण उत्पन्न होता है तब उसे ''अन्य आस्तियों / अन्य देयताओं'' के अधीन वर्गीकृत किया जाता है।

(घ) विदेशी मुद्रा में चुकौती के लिए विनिर्दिष्ट किये गये ऋणों, अग्रिमों के बारे में विनिमय आय का निर्धारण वसूली पर किया जाता है।

(vii) **गारंटियाँ**

(क) अवधि समाप्त गारंटियों को मूल दस्तावेज़ों की वापसी और निरसन तक आकस्मिक देयताओं के रूप में शामिल किया गया है।

(ख) ई सी जी सी पॉलिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(viii) **कर्मचारियों के सेवांत लाभ हेतु प्रावधान**

बैंक ने पृथक रूप से भविष्य निधि, उपदान निधि और पेंशन निधि की स्थापना की है, जो आयकर आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। उपदान और पेंशन संबंधी देयताओं का अनुमान बीमांकित आधार पर लगाया गया है और देय राशियाँ यदि कोई हैं, उनका अंतरण प्रत्येक वर्ष उपदान निधि और पेंशन निधि में कर दिया जाता है।

संगठन संरचना

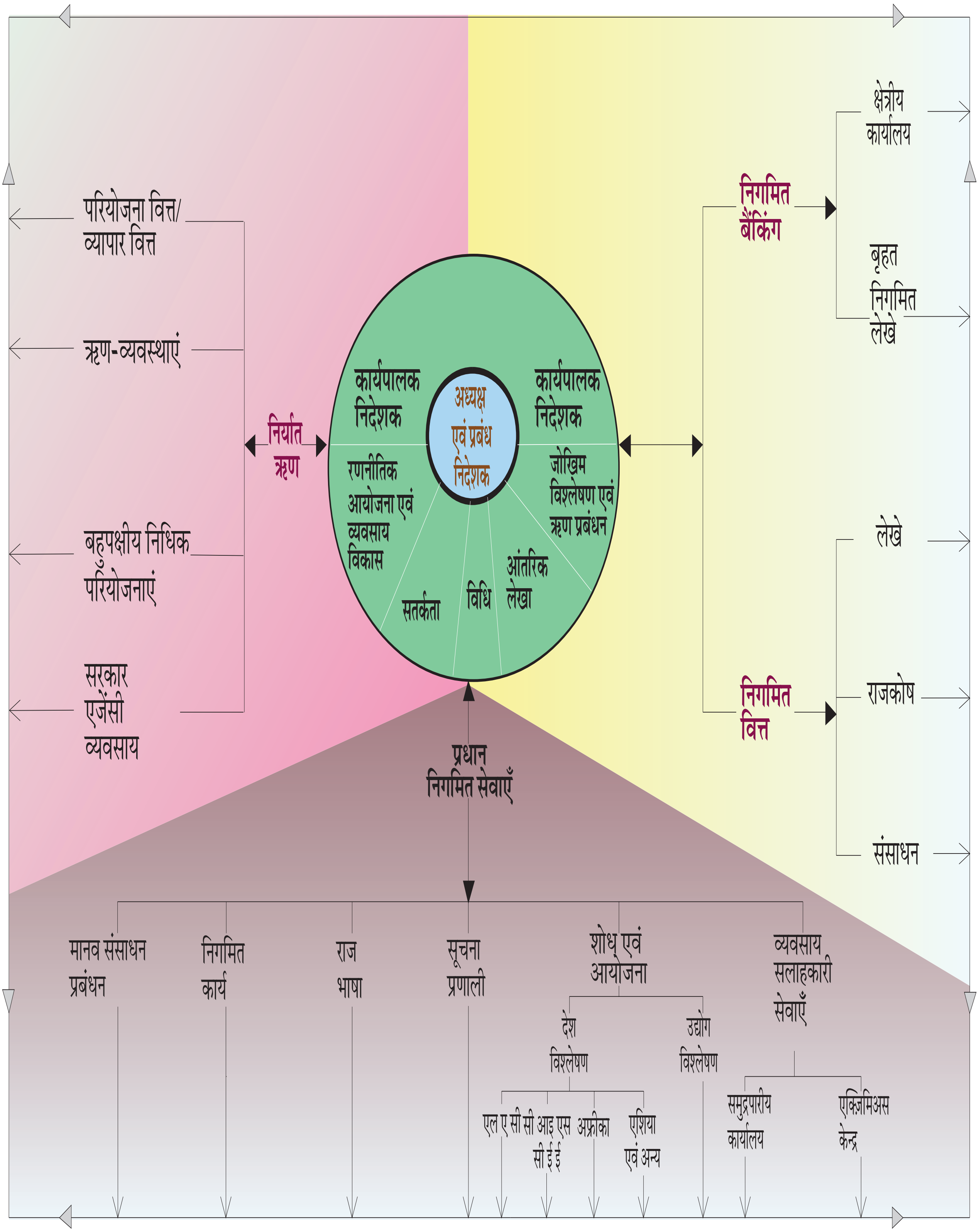

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कार्यपालक निदेशक
कार्यपालक निदेशक
रणनीतिक आयोजना एवं व्यवसाय विकास
जोखिम विश्लेषण एवं ऋण प्रबंधन
सतर्कता
विधि
आंतरिक लेखा
निर्यात ऋण
परियोजना वित्त/ व्यापार वित्त
ऋण-व्यवस्थाएं
बहुपक्षीय निधिक परियोजनाएं
सरकार एजेंसी व्यवसाय
निगमित बैंकिंग
क्षेत्रीय कार्यालय
बृहत निगमित लेखे
निगमित वित्त
लेखे
राजकोष
संसाधन
प्रधान निगमित सेवाएँ
मानव संसाधन प्रबंधन
निगमित कार्य
राज भाषा
सूचना प्रणाली
शोध एवं आयोजना
देश विश्लेषण
उद्योग विश्लेषण
एल ए सी सी आइ एस सी ई ई
अफ्रीका
एशिया एवं अन्य
व्यवसाय सलाहकारी सेवाएँ
समुद्रपारीय कार्यालय
एक्ज़िमिअस केन्द्र

प्रबंधन दल

Management Team

अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
Chairman &
Managing Director

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
T. C. Venkat Subramanian

कार्यपालक
निदेशक
Executive
Directors

एस. श्रीधर
S. Sridhar

आर. एम. वी. रामन
R. M. V. Raman

समूह
प्रमुख
Group
Heads

एस. आर. राव
निगमित सेवाएँ
S. R. Rao
Corporate Services

पी. ए. मकवाना
परियोजना वित्त/व्यापार वित्त
P. A. Makwana
Project Finance/Trade Finance

एस. भट्टाचार्य
रणनीतिक आयोजना एवं व्यवसाय विकास
S. Bhattacharyya
Strategic Planning & Business Development

ए. एम. सोनमाले
जोखिम विश्लेषण एवं
ऋण प्रबंधन
A. M. Sonmale
Risk Analysis &
Credit Management

सुश्री. एच. एस. अडवानी
निगमित बैंकिंग
Ms. H. S. Advani
Corporate Banking

एस. सरकार
निगमित बैंकिंग
S. Sarkar
Corporate Banking

डी. जी. प्रसाद
कृषि व्यापार
D. G. Prasad
Agri Business

एन. शंकर
निगमित वित्त
N. Shankar
Corporate Finance

पी. आर. दलाल
ऋण-व्यवस्थाएँ
P. R. Dalal
Lines of Credit

एन. ई. ऊकाभाय
विधिक (सलाहकार)
N. E. Ookabhoy
Legal (Adviser)

क्षेत्रीय प्रमुख Regional Heads

भारत स्थित कार्यालय Indian Offices

अहमदाबाद
देवानंद रजक
Ahmedabad
Devanand Rajak

बैंगलूर
मोती साईराम
Bangalore
Mothi Sayeeram

चेन्नै
के. मुत्थुकुमारन
Chennai
K. Muthukumaran

गुवाहाटी
सौमार सोनोवाल
Guwahati
Saumar Sonowal

हैदराबाद
विजय कृष्णा रेड्डी
Hyderabad
Vijay Krishna Reddy

कोलकाता
हितेन्द्र रावल
Kolkata
Hitendera Rawal

मुंबई
दीपाली अग्रवाल
Mumbai
Deepali Agrawal

नई दिल्ली
सुनील त्रिखा
New Delhi
Sunil Trikha

पुणे
आर. डब्ल्यू. खन्ना
Pune
R. W. Khanna

विदेश स्थित कार्यालय Overseas Offices

बुडापेस्ट
निर्मित वेद
Budapest
Nirmit Ved

जोहॉनिस्बर्ग
संजीव कुमार पवार
Johannesburg
Sanjeev Kumar Pawar

मिलान
जे. सॅम्युअल जोसेफ
Milan
J. Samuel Joseph

सिंगापोर
भानु अभिलाषी
Singapore
Bhanu Abhilashi

वाशिंग्टन डी. सी.
डेविड रस्किन्हा (16 अगस्त 2004 तक)
Washington D. C.
David Rasquinha (upto August 16, 2004)

वाशिंग्टन डी. सी.
तरुण शर्मा (17 अगस्त 2004 से प्रभावी)
Washington D. C.
Tarun Sharma (w.e.f. August 17, 2004)

एक्ज़िम बैंक का उद्देश्य भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संवर्धन करना है। यह प्रतीक चिह्न इस उद्देश्य को प्रकट करता है। इस प्रतीक चिह्न का दोतरफा वैशिष्ट्य है। आयात से संबधित भुजा निर्यात वाली भुजा से पतली है। यह चिह्न निर्यातों में मूल्य योजन के उद्देश्य को भी प्रकट करता है।

उद्देश्य

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना "देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तथा माल और सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से गई है..."

: भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981.

प्रधान कार्यालय
केंद्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई-400 005.
दूरभाष : (022) 2218 5272
फैक्स : (022) 2218 2572
ई-मेल : eximcord@vsnl.com
वेब साइट : www.eximbankindia.com

The Exim Bank aims to promote India's international trade. The Logo reflects this.The Logo has a two-way significance. The import arrow is thinner than the export arrow. It also reflects the aim of value addition to exports.

Objectives

The Export-Import Bank of India was established "for providing financial assistance to exporters and importers, and for functioning as the principal institution for co-ordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade ..."

: The Export-Import Bank of India Act, 1981.

HEADQUARTERS
Centre One Building, Floor 21,
World Trade Centre Complex,
Cuffe Parade, Mumbai 400 005.
Phone: (022) 22185272
Fax: (022) 22182572
E-Mail : eximcord@vsnl.com
Website:www.eximbankindia.com

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद
साकार II, पहली मंज़िल,
एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के आगे,
एलिसब्रिज पी.ओ., अहमदाबाद 380 006.
दूरभाष : (079) 26576852/26576843
फैक्स : (079) 26578271
ई-मेल : eximindad1@sancharnet.in

बैंगलूर
रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल,
18, एम. जी. रोड, बैंगलूर 560 001.
दूरभाष : (080) 25585755/25589101-04
फैक्स : (080) 25589107
ई-मेल : eximbro@blr.vsnl.net.in

चेन्नई
यू टी आइ हाऊस, पहली मंज़िल,
29, राजाजी सालै, चेन्नई 600 001.
दूरभाष : (044) 25224714/25224749
फैक्स : (044) 25224082
ई-मेल : chenexim@vsnl.net

गुवाहाटी
स्माल फार्मर्स एग्री-बिज़नेस कन्सोर्टियम,
जैन कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंज़िल, जी.एस. रोड,
दिसपुर पुराने डाकघर के पास, गुवाहाटी 781 005.
दूरभाष : (0361) 2599135/2340 893
फैक्स : (0361) 2340 892
ई-मेल : eximghy@transvmail.com

हैदराबाद
गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल,
6-3-639/640, राज भवन रोड,
खैरताबाद, हैदराबाद 500 004.
दूरभाष : (040) 23307816-21
फैक्स : (040) 23317843
ई-मेल : eximhyd@vsnl.net

कोलकाता
5 ए और 5 बी पार्क प्लाज़ा,
71, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता 700 016.
दूरभाष : (033) 22293416-17/22494630
फैक्स : (033) 22172357
ई-मेल : eximca@vsnl.com

मुंबई
मेकर चेंबर्स IV, आठवीं मंज़िल,
222, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.
दूरभाष : (022) 22830761/22823320
फैक्स : (022) 22022132
ई-मेल : eximwrro@vsnl.com

नई दिल्ली
तल मंज़िल, स्टेट्समैन हाऊस,
148, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110 001.
दूरभाष : (011) 23326254/6625
फैक्स : (011) 23322758/1719
ई-मेल : eximnd@vsnl.com

पुणे
44, शंकरशेठ रोड, पुणे 411 037.
दूरभाष : (020) 26458599
फैक्स : (020) 26458846
ई-मेल : eximpune@vsnl.com

विदेश स्थित कार्यालय

बुडापेस्ट
तीसरी मंज़िल, यूनिट 308, ई सी ई सिटी सेंटर,
बॉयची-ज़िलिंसकी उट, 12,
1051 बुडापेस्ट, हंगरी
दूरभाष : (00361) 3382833/3176699
फैक्स : (00361) 3178354
ई-मेल : eximindia@axelero.hu

जोहॅनिस्बर्ग
158, जन स्मट्स, तल मंज़िल,
9 वाल्टर्स एवेन्यू, रोज़बैंक,
जोहॅनिस्बर्ग 2196,
पी. ओ. बॉक्स 2018, सेक्सनवॉल्ड 2132
जोहॅनिस्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका
दूरभाष : (002711) 4428010/4422053
फैक्स : (002711) 4428022
ई-मेल : eximindia@icon.co.za

मिलान
वाया डिस्पिलिनी 7,
20123 मिलान, इटली
दूरभाष : (003902) 58430546
फैक्स : (003902) 58302124
ई-मेल : exim.india@tin.it

सिंगापोर
20, कोलियर की, # 10-02, तुंग सेंटर,
सिंगापोर 049319.
दूरभाष : (0065) 6532-6464
फैक्स : (0065) 6535-2131
ई-मेल : eximbank@singnet.com.sg

वाशिंग्टन डी.सी.
1750 पेनसिल्वेनिया एवेन्यू एन.डब्ल्यू.,
सूट 1202, वाशिंग्टन डी.सी. 20006
यू. एस. ए.
दूरभाष : (001) (202) 223-3238/3239
फैक्स : (001) (202) 785-8487
ई-मेल : indexim@worldnet.att.net

संयुक्त उद्यम:
- ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट्स लि., मुंबई
  वेबसाइट: www.gpcl-e.com
- ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्रा. लि., मुंबई
  वेबसाइट: www.gtfindia.com

DOMESTIC OFFICES

Ahmedabad
Sakar II, Floor 1,
Next to Ellisbridge Shopping Centre,
Ellisbridge P.O., Ahmedabad 380 006.
Phone : (079) 6576852/43
Fax : (079) 26578271
E-Mail : eximindad1@sancharnet.in

Bangalore
Ramanashree Arcade, Floor 4,
18, M.G. Road, Bangalore 560 001.
Phone : (080) 25585755/25589101-04
Fax : (080) 25589107
E-Mail : eximbro@blr.vsnl.net.in

Chennai
UTI House, Floor 1,
29, Rajaji Salai, Chennai 600 001.
Phone: (044) 25224714/49
Fax: (044) 25224082
E-Mail: chenexim@vsnl.net

Guwahati
Small Farmers' Agri-Business Consortium,
Jain Complex, 3rd Floor,
G. S. Road, Near Dispur Old P.O.
Guwahati 781 005.
Phone : (0361) 2599135/2340893
Fax: (0361) 2340892
E-Mail: eximghy@transvmail.com

Hyderabad
Golden Edifice, 2nd Floor,
6-3-639/640, Raj Bhavan Road,
Khairatabad, Hyderabad 500 004.
Phone: (040) 23307816-21
Fax : (040) 23317843
E-mail : eximhyd@vsnl.net

Kolkata
5A & 5B Park Plaza,
71, Park Street, Kolkata 700 016.
Phone : (033) 22293416-17/22494630
Fax: (033) 22172357
E-Mail: eximca@vsnl.com

Mumbai
Maker Chambers IV, Floor 8,
222, Nariman Point, Mumbai 400 021.
Phone : (022) 22830761/22823320
Fax : (022) 22022132
E-Mail: eximwrro@vsnl.com

New Delhi
Ground Floor, Statesman House,
148, Barakhamba Road,
New Delhi 110 001.
Phone : (011) 23326254/6625
Fax: (011) 23322758/1719
E-Mail : eximnd@vsnl.com

Pune
44, Shankarseth Road, Pune 411 037
Phone : (020) 26458599
Fax : (020) 26458846
E-Mail : eximpune@vsnl.com

OVERSEAS OFFICES

Budapest
Floor 3, Unit 308, ECE City Centre,
Bajcsy-Zsilinszky UT. 12,
1051 Budapest, Hungary
Phone : (00361) 3382833/3176699
Fax : (00361) 3178354
E-Mail : eximindia@axelero.hu

Johannesburg
158, Jan Smuts, Ground Floor,
9, Walters Avenue, Rosebank,
Johannesburg 2196,
P.O. Box 2018, Saxonwold 2132,
South Africa
Phone: (002711) 4428010/4422053
Fax: (002711) 4428022
E-Mail : eximindia@icon.co.za

Milan
Via Disciplini, 7, 20123 Milan, Italy
Phone : (003902) 58430546
Fax : (003902) 58302124
E-Mail : exim.india@tin.it

Singapore
20, Collyer Quay, # 10-02 Tung Centre,
Singapore 049319
Phone: (0065) 65326464
Fax: (0065) 65352131
E-Mail : eximbank@singnet.com.sg

Washington D.C.
1750 Pennsylvania Avenue N.W., Suite 1202,
Washington D.C. 20006 U.S.A.
Phone : (001) 202-223-3238/3239
Fax: (001) 202-785-8487
E-Mail : indexim@worldnet.att.net

Joint Ventures:
- Global Procurement Consultants Ltd., Mumbai
  Website: www.gpcl-e.com
- Global Trade Finance Pvt. Ltd., Mumbai
  Website: www.gtfindia.com